9

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

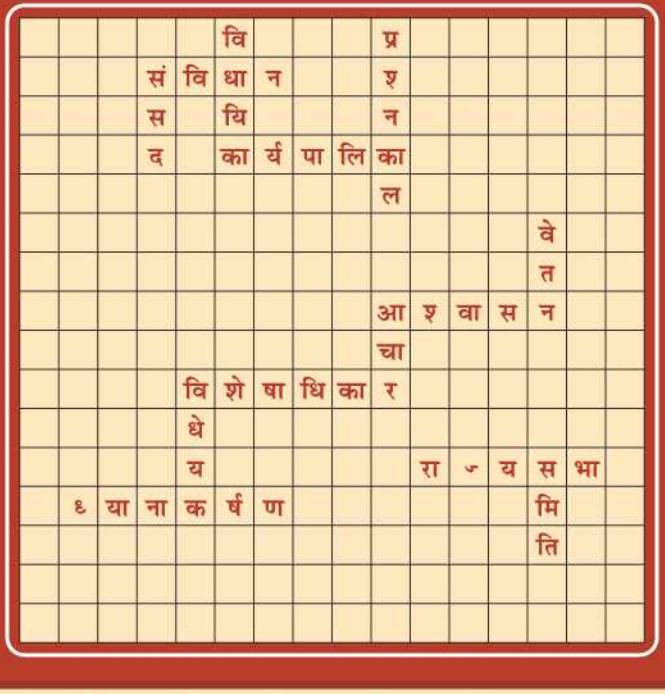

विधि निर्माताओं के लिए
सूचना प्रबन्धन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

9

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबंधन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें विधिनिर्माताओं के लिए सूचना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। सम्पूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2018

देश दीपक वर्मा
महासचिव

विषय-सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना 1-2
2. संसदों तथा सांसदों के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताएं ... 3-4
3. सूचना प्रसार के लिए एक संस्थागत स्रोत की आवश्यकता 5-6
4. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) का कार्य-क्षेत्र और दायरा 7-8
5. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से की जाने वाली पूछताछ का स्वरूप और उनके पास उपलब्ध साधन और सेवाएं 9-10
6. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) स्टाफ के दायित्व और कार्य: इसके मानदंड एवं सीमाएं .. 11-12
7. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या को स्वीकार किया जाना 13-15
8. संसदों के कार्यसंचालन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को काम में लाया जाना..... 16-17
9. निष्कर्ष 18

उपाबंध 19-75

10. चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची..... 76

प्रस्तावना

ज्ञान और सूचना हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूचना शक्ति है। लोगों की जानकारी तक पहुंच उनके सशक्तिकरण के स्तर और सीमा को निर्धारित करती है। अपनी बहु आयामी विधि संबंधी जिम्मेदारियों, सरकार की निगरानी और सार्वजनिक शिकायतों के निपटान के लिए संसद के लिए सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सही कहा जाता है कि 'संसद एक सूचना गहन और सूचना की मांग करने वाली संस्था है'। यह सूचना सृजित करती है और साथ ही इसे सरकार, मीडिया, सिविल सोसइटी इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से सूचना की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए एक सदस्य को आज के तेजी से बदलते परिवेश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सदस्य के मूल्यवान समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों से इसकी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उसके लिए व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि वह विभिन्न स्रोतों से सीधे सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल करे। इसलिए, यह अनिवार्य है कि नियमित आधार पर उन्हें उद्देश्यपरक, निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रदान करके विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दुनिया भर की संसदों ने सूचना संसाधनों के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किया है और सदस्यों की विविध सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की है।[1]

आधुनिक विधायिकाओं के उचित कामकाज के लिए विश्वसनीय और समय पर सूचना की सुलभता आवश्यक है। विधायी पुस्तकालय निरंतर और नियमित आधार पर आधिकारिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रासंगिक जानकारी

[1] पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसिज़: सेक्रेटरी-जनरल, राज्य सभा एट कांफ्रेंसेज़ (2002-2011), राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2011

उपलब्ध कराकर विधानमंडल की प्रभावशीलता में योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) में अभूतपूर्व विकास ने सूचना प्रबंधन के संबंध में विधि-निर्माताओं की सहायता करने और सदस्यों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विधायी पुस्तकालयों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की है।

संसदों तथा सांसदों के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताएं

विधायक के कार्य के लिए सूचना आवश्यक है, विशेषकर लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा इसकी जटिलता, अभूतपूर्व प्रौद्योगिकीय क्रांति तथा सूचना विस्फोट के संदर्भ में यह सूचना के अभाव की भी बात नहीं है, संभवत: व्यापक स्रोतों से अत्यधिक विषयों पर अत्यधिक सूचना उपलब्ध है। एक औसत विधायक के पास दस्तावेज का इतना पुलिंदा है कि इसे देखने के लिए न तो उसके पास समय है और न ही धैर्य है। आज विधायक यही चाहता है कि उसके पास संगत अथवा समय पर सुनिश्चित तरीके से सही सूचना उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक विधायक की अलग-अलग सूचना संबंधी आवश्यकताएं होती हैं।[2]

संसद के लिए सूचना महत्वपूर्ण है। अपने-अपने देशों के लिए सर्वोच्च विचार सभा तथा विधानकारी निकायों के रूप में संसदों की सूचना तक निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। उन्हें सूचना पाने का अक्षुण्ण अधिकार है। वाद-विवाद, चर्चा करने तथा निर्णय करने हेतु संसदों को समय पर, प्रामाणिक तथा पूर्ण जानकारी मिलनी जरूरी है।

यदि सरकारें अपनी-अपनी संसदों के प्रति जवाबदेह हैं तथा उन्हें आवश्यक अथवा उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसी प्रकार संसदें जनप्रतिनिधियों के प्रति स्वयं जवाबदेह हैं तथा यदि इन्हें सूचना न प्रदान की जाए तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकतीं क्योंकि जनता को अपनी संसद द्वारा सूचना पाने का अधिकार है। संचार प्रौद्योगिकी से कई चीजों में तेजी से आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। परन्तु सूचना प्रदान करने के लिए सशक्त माध्यम के रूप में स्वयं सत्ता के केन्द्र के रूप में संसद की

[2] सुभाष सी. कश्यप, इन्फार्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, खंड-7, सं. 2, पृष्ठ 107

स्थिति नहीं बदली है। जनता तथा सरकार के बीच की कड़ी के रूप में संसद तथा सांसद बेहतर संपर्क सूत्र का काम करते हैं।

पेश आ रही असंख्य आम समस्याओं के मद्देनज़र सांसदों के पास एक दूसरे के अनुभव तथा ज्ञान की भागीदारी के लिए बहुत कुछ होता है। अपनी समस्याओं के संभावित हल पर चर्चा करने हेतु, सांसद यह जानना चाहते हैं कि अन्य देशों अथवा अन्य संसदों द्वारा ऐसी समस्याएं कैसे निपटाई जाती हैं। इसलिए संसदों में अन्य देशों के संबंध में सूचना पाने तथा निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में तुलनात्मक विश्लेषण की जरूरत बढ़ रही है। इस संदर्भ में संसदों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।[3]

[3] टी. बिस्ट्रोम एंड ई. स्पाईसर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इन्फॉर्मेशन फॉर पार्लियामेंट, इंटर-पार्लियामेंटरी बुलेटिन, तीसरी तिमाही, 1974, पृष्ठ-117-24

सूचना प्रसार के एक संस्थागत स्रोत की आवश्यकता

किसी संसद सदस्य की सूचना के कई स्रोत होते हैं किन्तु चूंकि आधुनिक सरकार का सूचना पर सर्वाधिक स्वत्वाधिकार होता है इसलिए—विशेषकर विकासशील देशों में—अधिकांश विधान-मंडल और विधेयक सूचना संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए कार्यपालक विभागों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। दक्षतापूर्वक संग्रहित और प्रसंस्कृत होने पर भी इस सूचना का झुकाव जाने-अनजाने प्रायः सरकार के पक्ष में हो सकता है और सदैव यह आवश्यक नहीं है कि इसे तथ्यपरक या वस्तुनिष्ठ समझा जाये। मास-मीडिया, इंट्रेस्ट ग्रुपों या लॉबिस्टों, आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना में ऐसा कम होता है। अतः विधान-मंडल के लिए आवश्यक है कि वह सूचना के अपने संस्थागत स्रोत, स्वतंत्र सूचना भण्डार और अपनी विशेष प्रसार प्रक्रिया विकसित करे। इसे विधायी ग्रंथालय और शोध तथा संदर्भ सेवाओं और संसदीय समितियों द्वारा की गई जांचों के माध्यम से प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सूचना के प्रसार के लिए अभी तक जहां पर भी कोई सर्वोत्तम तंत्र विकसित किया गया है वह स्वयं संबंधित संसदों द्वारा स्थापित और नियंत्रित ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) है—इसे चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाये। 'लार्डिस' को विभिन्न संसदों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से और संकल्पनात्मक रूप से 'लार्डिस' को ग्रंथालय और समिति संबंधी कार्यों के परिणाम और उनके अभिन्न तथा अवियोज्य अंग के रूप में देखा जा सकता है। यहां तक कि संगठनात्मक रूप से भी 'लार्डिस' ग्रंथालय के अनुरूप सामान्य प्राधिकार के अन्तर्गत संसदीय पुस्तकालय और कार्यों का अंग रहा है और अधिकतर विधानमंडलों में यह अभी भी इनका अंग बना हुआ है।[4]

सभी संसद उपयुक्त रूप से सुशिक्षित और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों वाले स्टाफ, लाइब्रेरियनों, सूचना वैज्ञानिकों, विषय और क्षेत्र के विशेषज्ञों आदि

[4] सुभाष सी. कश्यप, पूर्वोक्त कृति, पृष्ठ 107-08

वाली पूर्ण रूप से सुसज्जित 'लार्डिस' का खर्च वहन नहीं कर सकती। कुछ नए तथा विकासशील देशों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि विकास के लिए सूचना एक महत्वपूर्ण संसाधन है और विकासशील देशों में विधायिका के सदस्यों की जानकारी संबंधी आवश्यकताएं उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए अति तत्काल और महत्वपूर्ण होती हैं।[5]

[5] सुभाष सी. कश्यप, पार्लियामेंट्स एण्ड इन्फॉर्मेशन डीसेमीनेशन, मोनोग्राफ सीरीज नं. 4, जर्नल ऑफ पार्लियामेन्ट्री इन्फॉरमेशन, खंड-31, सं. 1, मार्च, 1985

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) का कार्य-क्षेत्र और दायरा

शोध और सूचना सेवा की भूमिका का संबंध यंत्रीकृत अथवा हस्तचालित उपलब्ध तकनीकों और साधनों के माध्यम से सूचना की व्यवस्था करना और एक क्षेत्र विशेष में सूचना के प्रवाह को इस प्रकार से प्रबन्धित करना है जिससे प्रयोक्ता को जब भी अपेक्षित हो संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। विधान-मंडलों में यह कार्य एक समेकित, निष्पक्ष और स्वतंत्र 'लार्डिस' द्वारा किया जा सकता है जोकि सभी सदस्यों को अपनी सुविधाएं, कौशल और सूचनाएं और जानकारी मुफ्त उपलब्ध कराती है। एक सूचना स्रोत के रूप में, 'लार्डिस' अन्य स्रोतों से अनिवार्य रूप से भिन्न है क्योंकि यह पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। विधायक 'लार्डिस' से सम्पर्क कर सकते हैं और 'संतुलित, निष्पक्ष और सभी संबंधित तथ्यों की न्यायोचित प्रस्तुति' प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। साथ ही पुनः सूचना की प्राप्ति, विश्लेषण, संगठन और प्रसार के संबंध में 'लार्डिस' कार्य-प्रणाली को सांसदों की सूचना संबंधी समस्याओं के समाधान के विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर विशेष रूप से अभिमुख करना होगा। चूंकि आज के विधान-मंडलों के सदस्यों के पास समय का काफी अभाव होता है इसलिए उन्हें जानकारी योग्य रूप में तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 'लार्डिस' को संसदीय दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से न्यूनतम समय, न्यूनतम विस्तार के साथ जानकारी उपलब्ध कराना होता है। 'लार्डिस' द्वारा किये गये सभी अनुसंधानात्मक और संदर्भ कार्य वस्तुनिष्ठता, सटीकता, प्रामाणिकता, परिशुद्धता और तत्परता के पांच मूलभूत मानकों पर आधरित हैं।

यह कार्य की दृष्टि से अक्सर सुविधाजनक पाया गया है कि 'लार्डिस' को विस्तृत विषय प्रभावों में विभाजित किया जाए ताकि कर्मचारियों में आवश्यक विषय विशेष की विशेषज्ञता और सुविज्ञता विकसित की जा सके। इस प्रकार,

संविधान और कानून, अर्थव्यवस्था और वित्त, विदेशी मामले, शिक्षा, विज्ञान आदि के लिए पृथक-पृथक प्रभाग अथवा इकाइयां समर्पित हो सकती हैं। कार्यपालिका से संबंधित एजेंसियों अथवा सरकारी विभाग की तर्ज पर एक अन्य सम्भावित व्यवस्था बनाई जा सकती है, अर्थात् प्रत्येक विभाग अथवा विभागों के समूह के लिए 'लार्डिस' में समनुरूपी इकाई बनाई जा सकती है।

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से की जाने वाली पूछताछ का स्वरूप और उनके पास उपलब्ध साधन और सेवाएं

संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से उनकी मांगें बहुत अधिक हैं। अधिकांश संदर्भ या तो विषय संबंधी होते हैं, सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित होते हैं या निर्वाचन क्षेत्रोन्मुखी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित घटते-बढ़ते दबावों, सामाजिक-राजनैतिक कारकों और सदस्यों की पसंद के कारण लार्डिस से मांगें घटती-बढ़ती रहती हैं।

लार्डिस से की जाने वाली पूछताछ को प्रत्येक मामले में कार्य के स्तर और उसके परिणाम की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है; कुछेक संदर्भों को उसी समय टेलीफोन पर अथवा मौखिक रूप से निपटाया जा सकता है; कुछ अन्य पर संदर्भों, कार्यों अथवा पुस्तकालय के संग्रह की मदद से संतोषजनक रूप से कार्रवाई की जा सकती है, परन्तु कुछ ऐसे संदर्भ हो सकते हैं जिनमें थोड़े-बहुत गहन अनुसंधान की आवश्यकता होती है जिसमें किसी प्रस्ताव के अच्छे और बुरे पहलुओं की जांच करना, राष्ट्रीय महत्व की किसी समस्या का व्यापक अध्ययन करना, किसी विधेयक के विश्लेषण अथवा संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या करना शामिल है।

इससे यह प्रश्न उठता है कि सूचना संगठन, भंडारण, पुनः प्रापण और प्रचार-प्रसार के लिए लार्डिस के पास क्या-क्या उपकरण और सेवाएं उपलब्ध हैं। उपकरणों के एक समूह में मौजूदा पुस्तकालय संग्रह और सूचियां और सरकारी विभागों और एजेंसियों से उपलब्ध सूचना और सामग्री शामिल हैं। जबकि उपकरणों के दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण समूह में स्वयं लार्डिस की विभिन्न सेवाएं शामिल हैं। इसमें शामिल हैं— प्रलेखन सामग्रियां और उपकरण;

समाचार-पत्रों की कतरनों के फोल्डर; संदर्भ अथवा विषय संबंधी फाइलें; विशिष्ट (टिप्पणी सहित) संदर्भ-ग्रंथ-सूचियां; प्रतिवेदनों और लेखों के सार, टिप्पणियां और परिशिष्ट; महत्वपूर्ण पुस्तकों, अधिनियमों और न्यायालय के निर्णयों के डाइजेस्ट; तथ्य-पत्र; सूचना समाचार; सांख्यिकीय ज्ञापन; न्यूज डाइजेस्ट; प्रस्तावित विधानों का विश्लेषण, मौजूदा समस्याओं, संदर्भ टिप्पणों इत्यादि से संबंधित लेखा-जोखा और दस्तावेजी अध्ययन। [संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा दी जा रही सेवाओं के सार हेतु देखिए **'उपाबंध'**]

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) स्टाफ के दायित्व और कार्य: इसके मानदंड एवं सीमाएं

लार्डिस स्टाफ को संवेदनशील तथा श्रमसाध्य कार्य करना होता है। उन्हें संबंधित विषयों के बीच तथा संभावित विचारों के बीच पूर्ण तटस्थता बनाए रखनी होती है। उन्हें अत्यधिक गोपनीयता के साथ कार्य करना तथा हमेशा अज्ञात और परदे के पीछे रहना होता है और विचारों को प्रकट करने की अपनी लालसा को दबाना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय उनके कार्यों की पृष्ठभूमि पर आधरित हो सकते हैं, परन्तु उन्हें पूर्ण आत्म-नियंत्रण रखना होता है तथा वे अपने लिए कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा मानसिक रूप से सजग भी रहना होता है तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने ज्ञान को तथा तकनीकों की जानकारी को अद्यतन रखना होता है। इसके अतिरिक्त, लार्डिस स्टाफ अत्यधिक एवं सतत् दबाव में कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें प्राय: अल्पकालिक नोटिस पर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ही सदस्यों को सूचना प्रदान करनी होती है। जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधियों को सेवा प्रदान करना तथा सूचना संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए सर्वाधिक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, योग्यता, अनुशासन, संस्थागत निष्ठा तथा कौशल की आवश्यकता होती है।

सामान्यत: संसद के अलग-अलग सदस्यों, समितियों, सचिवालयों और विधायिका के अधिकारियों द्वारा लार्डिस का उपयोग किया जाता है। प्राय: जो एक लार्डिस कर सकता है तथा संसद के सदस्यों की जो अपेक्षाएं होती हैं, उनमें बहुत अधिक अन्तर होता है। जहां एक और बहुत कम सदस्य ही वास्तविक रूप से विद्यमान शोध एवं संदर्भ सुविधाओं का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सदस्यों की अपेक्षाएं अधिक होती है, सर्वाधिक पेचीदा प्रश्न सदस्यों को और अधिक व्यक्तिकृत शोध एवं संदर्भ सेवा प्रदान करने का है जिसका अर्थ यह होगा कि लार्डिस को प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता

का अन्दाजा लगाने का प्रयास करना चाहिए, और तदनुसार सूचना प्रदान करनी चाहिए। कभी-कभी संसद सदस्यों के नितान्त व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विशिष्ट शोध अध्ययनों और विशिष्ट विषयों पर नोट तैयार करने, संरचित प्रश्नों और पत्राचार का जवाब देने के लिए, पुस्तकें और लेख लिखने में संसद सदस्य की सहायता करने के लिए, उसे विधिक, राजनीतिक और अन्य प्रस्तावों पर सलाह देने की भी मांग की जा सकती है। अत: यह सर्वाधिक परामर्शदायक समझा जाता है कि लार्डिस सर्वोत्तम संभव और सरलतापूर्वक प्रयोज्य रूप में उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी की तत्काल आपूर्ति करने तक सीमित रहे। लार्डिस कितना ही कार्यकुशल हो, किसी सदस्य की निजी सोच अथवा निर्णय अथवा उसके गृहकार्य[6] का पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकता।

यह निर्विवाद है कि लार्डिस का प्रयोग जानकारी के संस्थागत प्रवाह के सर्वाधिक स्वीकार्य स्रोत के रूप में होना चाहिए। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सदस्यों को सुसंगत जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए लार्डिस को उपयुक्त रूप से सुसज्जित होना होगा। विधि निर्माताओं की संदर्भ संबंधी जरूरतों को पूरा करने के अपने पारम्परिक कार्यों के अलावा एक आदर्श लार्डिस को अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होना चाहिए:-

(क) संसदीय पाठ्यक्रमों अथवा विषयबोध सम्मेलन आयोजित करके नए सदस्यों की विषयबोध और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना;

(ख) सभी नए संसदीय अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना; और

(ग) अन्त:सत्रावधि के दौरान कार्यपालिका के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों के लिए संसदीय पाठ्यक्रम आयोजित करना।[7]

---

[6] सुभाष सी. कश्यप, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, खंड-7, सं. 2, पृष्ठ 113-14

[7] यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा सचिवालय के नियन्त्रणाधीन कार्यरत संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) लार्डिस के उपर्युक्त कार्यात्मक विस्तारों का पहले ही ध्यान रख रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या को स्वीकार किया जाना

अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केन्द्र (सी.आई.डी.पी.), जेनेवा ने जनवरी, 1973 में सदस्यों की सूचना आवश्यकताओं के बारे में अन्तर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की संगोष्ठी आयोजित की थी। यह विश्व के विधानकर्ताओं की राजनीतिक स्थिति की प्रमुख विषयवस्तु पर अन्तर-संसदीय संघ की तीसरी संगोष्ठी थी। ऐसा कहा गया कि इससे संसदीय ग्रन्थागारों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 'अन्तर्राष्ट्रीय पहचान'[8] मिली है तथा जहां तक इसके द्वारा सांसदों की और अधिक तुलनात्मक सूचना संबंधी आवश्यकता को स्वीकार किये जाने का संबंध है, यह माना गया कि इस अन्तर-संसदीय सहयोग ने एक महत्वपूर्ण विभाजन-रेखा खींच दी है।[9] संगोष्ठी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ''एक दूसरे के ज्ञान को संचारित करने, साझा बनाने तथा उसका प्रयोग करने के संबंध में वास्तविक तथा सार्वभौमिक चुनौती के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना था।''[10]

अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केन्द्र की इस संगोष्ठी का अप्रत्यक्ष परिणाम यह निकला कि अन्तर-संसदीय संघ द्वारा बाह्य सूचना अर्थात् तथ्यों, डाटा, प्रलेखनों तथा एक देश से संबंधित तथा उद्गमित ऐसे विश्लेषणों, जो दूसरे देश में अपेक्षित हैं, के क्षेत्र में संसदों के बीच प्रभावी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं और व्यावहारिक कदमों की विशेष जांच करने का निर्णय लिया गया। जांच के परिणामों में यह अभिज्ञान किया गया कि 'किसी देश में विद्यमान महत्वपूर्ण सूचना की पहचान करना तथा फिर उसे उपयोगी रूप में दूसरे देश में शीघ्रता से सटीक तौर पर संचरित करना' एक

[8] डी. एंजिलफिल्ड, सर्वे ऑफ पार्लियामेंटरी लाइब्रेरीज, डाक्यूमेंटेशन एण्ड इन्फार्मेशन सर्विसेज, यूरोपियन सेन्टर फॉर पार्लियामेंटरी रिसर्च एण्ड डाक्यूमेंटेशन, लक्सम्बर्ग, 1983।

[9] ए. एस. रीड, इन्फॉर्मेशन फॉर दि मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, दि इन्फॉर्मेशन साईंटिस्ट-खंड-2, सं. 2, जून 1977, पृष्ठ 43-51

[10] ए. बार्कर, इन्फार्मेशन फॉर दि पार्लियामेंटेरियंस: ए टेक्निकल एण्ड पोलिटिकल चेलेंज, दि पार्लियामेंटेरियन खंड-54, सं. 2, अप्रैल, 1973, पृष्ठ 88-92

चुनौती थी जिससे संसद-विदों को 'अपना निर्णय लेने के लिए एक संबंधित आवश्यक तुलनात्मक आधार' मिल सके। जांच के परिणामों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल की गईं:

(i) संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के रूप में संसद-विदों और संसदीय कर्मचारियों द्वारा दौरों के समय अथवा अन्यथा प्राप्त किए गए केन्द्रीय महत्व के प्रलेखनों का संग्रहण और आदान-प्रदान;

(ii) संसदों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार संबंधी संपर्क स्थापित करना;

(iii) संसदीय पुस्तकालयों, प्रलेखन और अनुसंधान सेवाओं का एक व्यापक सहकारी नेटवर्क विकसित किया जाना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संसदीय पुस्तकालय का अन्य राष्ट्रों के संसदीय पुस्तकालयों के साथ घनिष्ठ संपर्क कायम किया जाना; और

(iv) आवश्यक जानकारी के त्वरित हस्तान्तरण और महत्वपूर्ण प्रकाशनों, ग्रंथ-सूची, अनुक्रमणिकाओं, विधायी कैलण्डरों इत्यादि का आदान-प्रदान करने के लिए राजनयिक साधनों (पाउचों) और संक्रियात्मक संचार के अत्याधुनिक साधनों का उपयोग किया जाना।[11]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों और उनके अभिसरण में तीव्रता से सूचना को साझा करने के नए क्षेत्र खुले हैं। विधिसंबंधी ग्रंथालय और अनुसंधान सेवाओं द्वारा जानकारी, विचारों, अनुभवों आदि को साझा करने और आदान-प्रदान करने से वे निश्चित रूप से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे, जिनका वैश्वीकरण के बाद विधायिकाओं और उनके सदस्यों को सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से तेज संचार से वैश्विक सूचना नेटवर्किंग का एक युग शुरू हुआ है, जिससे लागत, समय और दूरी में भारी कटौती हुई है। वास्तव में, नई प्रौद्योगिकियों से सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार के पारंपरिक तरीकों को बदला गया है। नेटवर्किंग

[11] टी. बिस्ट्रॉम एंड ई. स्पाइसर, पूर्वोक्त कृति, पृ. 122-23

इलेक्ट्रॉनिक मेल, कम्प्यूटर/ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारों और सूचनाओं के अधिक त्वरित और प्रभावी विनिमय में संचार की सुविधा प्रदान करती है। इन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के प्रयासों के दोहराव से बचना और उन्हें विधिसंबंधी ग्रंथालय की एक सुव्यक्त सूचना नेटवर्किंग के माध्यम से विधायकों को उपलब्ध कराना है। इससे डेटा आसानी से सुलभ हो जाता है और विधायकों को बेहतर रूप से सूचित रहने में सहायता मिलती है। साथ ही, सूचना की अधिकता विधायकों के लिए सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया को इस तथ्य को देखते हुए अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है कि उन्हें उद्देश्यपूर्ण, अद्यतन और प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता है।

संसदों के कार्यसंचालन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को काम में लाया जाना

संसदों ने संसद सदस्यों और जनता के लाभ के लिए अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में अपने दैनिक कार्यकलाप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इस पहलू पर विश्व ई-संसद रिपोर्ट 2010 में बल दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: "संसद हमेशा सूचना गहन संस्थान रहे हैं। ई-संसद से सूचना की अपेक्षाकृत और अधिक मांग सृजित हुई है और उस जानकारी को अधिक समकालीन, अधिक पूर्ण, और सदस्यों और समतियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर इसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है" रिपोर्ट में आगे कहा गया है: "कुशल ग्रंथालय और शोध कर्मचारियों सहित एक ठोस आईसीटी आधारभूत संरचना से महत्वपूर्ण सूचना संसाधनों तक सदस्यों की पहुंच को काफी बढ़ सकती है, ऐसे संसाधन चाहे विधायिका के भीतर से हैं, सरकार के अन्य हिस्सों से या विभिन्न बाहरी स्रोतों से"।

यह स्वीकार किया जाता है कि अंत:संपर्क और लोकतांत्रिकरण के बीच एक मजबूत सह-संबंध है। इसका मतलब है कि जब आईसीटी के लाभ लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज में अधिकतम होते हैं तो स्वतंत्रता का संवर्धन होता है। ज्ञान और उपयुक्त जानकारी से लैस नागरिक पर्याप्त रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं या सूचना के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं और इसलिए, वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संसदीय आधारभूत संरचना नागरिकों और सांसदों की मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हो और सूचनापरक स्रोत उद्देश्यपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण, अद्यतन और सुलभ हों। एक संसदीय लोकतंत्र में इस नई तकनीक का

उपयोग करने से संसद और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने और भागीदारी लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकतांत्रिक अविश्वास को कम करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए, दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से संसद के लिए आईसीटी का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है।

मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भारी संभावना को ध्यान में रखते हुए, हमारी संसद भी इन तकनीकों को अपनाने में काफी सक्रिय रही है ताकि सदस्यों को उनके संसदीय कार्य में प्रभावी ढंग से इनका उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, सदस्यों को कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो उन्हें संसदीय और अन्य प्रासंगिक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने और कागज उपयोग पर निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाती हैं। संसद की दोनों सभाओं में उनकी अलग-अलग भली-भांति डिजाइन की गई व्यापक वेबसाइटें हैं जिनमें उनके कामकाज के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी शामिल है। सदस्यों के बारे में जानकारी और सदन की कार्यवाही में उनकी भागीदारी से संबंधित जानकारी उनके संबंधित होम पेजों पर उनके संपर्क विवरण और ई-मेल पते के साथ भी प्रदान की गयी है। इसके अलावा, प्रत्येक सदन का अपना-अपना 24×7 टेलीविजन चैनल है, जो सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण करता हैं इन प्रमुख कदमों ने सार्वजनिक डोमेन में संसदीय सूचनाओं की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे संसदीय संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और खुलापन सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें देश के सामान्य नागरिकों के करीब लाया जा सके। इन पहलुओं पर विस्तृत जानकारी **उपाबंध** में दी गई है।

निष्कर्ष

संसद सूचना का एक भंडार है जिसका लोगों, राजनीति और समाज के लिए मौलिक महत्व है। प्रभावी निर्णय लेने में सूचना एक महत्वपूर्ण इनपुट होती है। लोगों को सूचना का अधिकार के संदर्भ में यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों और संसदीय संस्थानों सहित, लोक प्राधिकरणों और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का वृहद कार्य करता है। प्रतिनिधिक संस्थानों के रूप में, विधि-निर्माताओं को ऐसी व्यवस्था में काम करना पड़ता है जहां निर्णयों पर पहुंचने और नीतियों का आकलन करने के लिए जानकारी का एक मुक्त प्रवाह होता है जिसका उद्देश्य लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र की सफलता, बड़े पैमाने पर जानकारी के बहु-दिशात्मक सूचना के प्रवाह पर निर्भर करती है। सूचना, संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग विधायिका और अन्य संस्थानों, मीडिया और लोगों के बीच जानकारी प्रसारित करने के लिए बहुत मददगार होगा जो संसदीय संस्थानों को लोगों के करीब लाने में एक लंबा सफर तय करेगा जिससे सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

चूंकि लार्डिस को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों की ग्रंथालय, अनुसंधान और संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिदेश दिया गया है, इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति में सदस्यों की बढ़ती जरूरतों और उनकी भारी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल रखते हुए निष्पक्ष, उद्देश्परक, सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित रहना होता है।

ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा*

सेवा का उद्देश्य

संसद ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा, संक्षेप में 'लार्डिस' का प्रमुख उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सभाओं—लोक सभा तथा राज्य सभा के समक्ष चर्चा के लिए आने वाले विधायी तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित शोध तथा संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराके संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस सेवा, जिसमें व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक कर्मचारी सम्मिलित हैं, को निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों में बांटा गया है: (i) ग्रंथालय प्रभाग, (ii) संदर्भ प्रभाग, (iii) अनुसंधान प्रभाग, (iv) संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार प्रभाग, (v) कम्प्यूटर प्रभाग, और (vi) प्रेस और जन संपर्क प्रभाग। प्रत्येक प्रभाग में अधिकारियों के दल का नेतृत्व एक संयुक्त निदेशक करता है। छः प्रभाग निदेशकों के संपूर्ण नियंत्रण में कार्य करते हैं। कार्य की तात्कालिकता के आधार पर इन प्रभागों के नाम तथा इनके काम-काज के आबंटन में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

संसद ग्रंथालय

संसद ग्रंथालय जिसमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों सहित मुद्रित पुस्तकों, प्रतिवेदनों, सरकारी प्रकाशनों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदनों, वाद-विवादों, राजपत्रों, अन्य प्रलेखों के इस समय लगभग 1.40 मिलियन खण्ड हैं, देश के सर्वोत्तम और समृद्धतम ग्रन्थागारों में से एक है। वर्तमान में ग्रन्थागार 86 भारतीय विदेशी समाचार-पत्र और अंग्रेजी, हिन्दी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं की 393 पत्रिकायें मंगाता है।

---

*ग्रंथालय और संदर्भ, शोध प्रलेखन तथा सूचना सेवा, लोक सभा सचिवालय द्वारा संकलित।

संसद ग्रंथालय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों और अन्य प्रकाशित सामग्री का अर्जन, प्रसंस्करण, परिरक्षण, प्रदर्शन करता है।

संसद सदस्यों या अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अथवा मानार्थ पुस्तकें और प्रकाशन भी ग्रंथालय में शामिल किये जाने के लिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पुस्तकें शामिल की जाती हैं। ग्रंथालय का अर्जन अनुभाग ग्रन्थों का चयन करते समय पाठकों की पहल, विगत मांगों, भावी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं की ओर उचित ध्यान देता है।

ग्रंथालय के लिए पुस्तकों और प्रकाशनों का चयन सदस्यों की विधायी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए लगभग सभी विषयों से संबंधित मानव गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र से किया जाता है जिसमें उत्तम तकनीक, शुद्ध विज्ञान और सरल कथा साहित्य संबंधी पुस्तकें अपवाद स्वरूप होती हैं।

दुर्लभ और कला पुस्तकें

संसद ग्रंथालय में इतिहास, कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला पर हजार से अधिक दुर्लभ ग्रंथों का समृद्ध संग्रह है। भारतीय कला से संबंधित पुस्तकों में भारतीय इतिहास का विस्तृत दायरा सम्मिलित है और इसके विकास के विभिन्न चरणों को चित्रित किया गया है। इनमें मुगल, राजपूत, कांगड़ा, गढ़वाल और अन्य कला विधाओं का समावेश है। विदेशी कला से संबंधित पुस्तकों में माइकलेंजलो, लियोनार्डो द विंसी और रैफिल जैसे प्रख्यात कलाकारों की कृतियां तथा चीनी और जापानी कलाकृतियां एवं रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, अमरीकी और अरबी चित्र सम्मिलित हैं। संसद ग्रंथालय में उपलब्ध एक अत्यन्त दुर्लभ प्रलेख है भारत के संविधान का मूल सुलेख (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। यह प्रलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं।

भारतीय भाषाओं पर साहित्य

संसद ग्रंथालय अपने भाषागत संग्रहों के विकास पर अधिक बल देता रहा है। ग्रंथागार में विभिन्न भारतीय भाषाओं संबंधी ग्रंथों का एक अलग स्कंध है। भाषाओं में हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त (i) असमी;

(ii) बंगाली; (iii) बोडो; (iv) डोगरी; (v) गुजराती; (vi) कन्नड़; (vii) कश्मीरी; (viii) कोंकणी; (ix) मलयालम; (x) मणिपुरी; (xi) मराठी; (xii) मैथिली; (xiii) नेपाली; (xiv) उड़िया; (xv) पंजाबी; (xvi) राजस्थानी; (xvii) सिंधी; (xviii) तमिल; (xix) तेलुगु और (xx) उर्दू शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक भाषा में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में आधारभूत कृतियों को सम्मिलित करके इस संग्रह को समृद्ध करने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, संसद ग्रंथालय में अंग्रेजी में 325 पत्रिकाएं, हिन्दी में 40 पत्रिकाएं तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 28 पत्रिकाएं प्राप्त हो रही हैं। इन सभी भाषाओं की प्रमुख पत्रिकाओं को ग्रंथालय हाल, संसद भवन में एक अलग वाचन पटल और संसद ग्रंथालय भवन में प्रदर्शन रैकों पर प्रदर्शित किया जाता है।

ग्रंथालय की अवस्थिति

वर्तमान में संसद ग्रंथालय, पूर्णतः वातानुकूलित संसद ग्रंथालय भवन (संसदीय ज्ञानपीठ) के 'ए' ब्लॉक में स्थित है।

कार्य के घंटे

संसद ग्रंथालय सभी कार्य दिवसों में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक खुला रहता है। तथापि, सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय 09.00 बजे से 19.00 बजे तक अथवा दोनों सभाओं के स्थगन, जो भी बाद में हो, तक खुला रहता है। ग्रंथालय सभी शनिवार/रविवार और राजपत्रित छुट्टी के दिनों (राष्ट्रीय अवकाश तथा होली के दिन को छोड़कर) में भी 10.00 बजे से 14.00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकें रखने की व्यवस्था

(i) विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें संसद ग्रंथालय भवन के पहले बेसमेंट और पहली मंजिल में रखी गई हैं। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा उनके बारे में लिखी गई सभी पुस्तकें भूमितल पर पृथक-पृथक खंडों यथा 'गांधियाना' तथा 'नेहरुआना' में रखी गई हैं।

(ii) समाचार-पत्र, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन, विधि प्रतिवेदन, पत्रिकाएं, संघ/राज्य और विदेशी सरकारों के प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके सहायक अभिकरणों के प्रकाशन और सरकारी उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकायों से संबंधित सामग्री संसद ग्रंथालय भवन (पीएलबी) के दूसरे बेसमेंट में रखी गई हैं।

(iii) संसद ग्रंथालय के भूमितल और पहली मंजिल दोनों स्थानों पर अध्ययन कक्ष उपलब्ध हैं।

प्रकाशनों को जारी किया जाना और लौटाया जाना

ग्रंथालय से पुस्तकें जारी करने का कार्य ग्रंथालय नियमों के अधीन किया जाता है जिसकी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित प्रतियां ग्रंथालय से अनुरोध करके प्राप्त की जा सकती हैं। नियमों को लोक सभा की वेबसाइट पर भी पढ़ा जा सकता है।

ग्रंथालय नियम

1. संसद ग्रंथालय, संसद सदस्यों और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सचिवालयों के अधिकारियों के अनन्य उपयोग के लिए है। इस संग्रह का इष्टतम उपयोग सुकर बनाने के उद्देश्य से यह ग्रंथालय मीडिया गैलरी के अधिकार प्राप्त मीडिया से जुड़े व्यक्तियों, भारत और विदेशों के वास्तविक अध्येताओं तथा कार्यालयी प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों एवं सांविधिक निकायों के लिए भी खुला है।

2. लोक सभा सदस्यों के निजी कर्मचारीवृन्द अथवा वास्तविक शोध अध्येताओं द्वारा अध्ययन हेतु संसद ग्रंथालय का उपयोग करने के लिए लोक सभा के महासचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी से विशिष्ट लिखित अनुमति

की आवश्यकता है। राज्य सभा के सदस्यों के मामले में राज्य सभा का महासचिव ऐसी अनुमति प्रदान कर सकता है। लोक सभा का महासचिव अथवा राज्य सभा का महासचिव यथास्थिति, यह अनुमति तब दे सकता है जब उसकी यह संतुष्टि हो जाये कि सूचना, जिससे उसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के कुशल निष्पादन में सहायता मिलेगी, एकत्र करने में सदस्य की सहायता करने के लिए व्यक्ति विशेष की वास्तव में आवश्यकता है। तथापि, पास परियोजना की प्रकृति के आधार पर एक सीमित अवधि के लिए जो कि तीन महीने से अधिक नहीं होगी, जारी किए जाएंगे।

3. सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय सुविधा संसद सदस्यों के निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों को केवल एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा इसका नवीकरण कराकर इसे और एक सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, अन्तर-सत्रावधियों के दौरान, ग्रंथालय पास एक महीने के लिए जारी किए जा सकेंगे। सदस्यों के निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों को संसद के सूचना कार्यालय (पीएनओ) द्वारा सामान्य प्रवेश पास जारी किए जाते हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सदस्यों के वास्तविक निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक ही ग्रंथालय का प्रयोग करें, अब से ये सुविधाएं सदस्यों के केवल उन निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों को दी जा सकती हैं जो पीएनओ द्वारा जारी किए गए सामान्य प्रवेश पास के धारक हैं।

4. शोध अध्येताओं के लिए ग्रंथालय में अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय/शोध निर्देशक/संगठन की ओर से जारी परिचय पत्र और एक वैध पहचान पत्र जमा कराने होंगे। पहली बार पास सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नजदीकी थाने से पुलिस मंजूरी प्रमाण-पत्र

प्राप्त किए जाने के पश्चात् एक महीने के लिए जारी होगा। यह सुविधा प्रयोक्ता द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर मासिक रूप से तीन माह तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते ग्रंथालय प्रभारी यह प्रमाणित करे कि ग्रंथालय का उसी के द्वारा अनन्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा न होने पर समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

5. ऐसे शोध अध्येता, जिन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा संसदीय अभिरुचि के विषय पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है, को उनकी अध्येतावृत्ति से संबंधित संसदीय वाद-विवादों और अन्य संबंधित प्रलेखों का अवलोकन करने हेतु संसद ग्रंथालय जाने के लिए संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) के विशिष्ट अनुरोध पर सत्रावधि और अन्तर-सत्रावधि में संसद ग्रंथालय की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

   ऐसे मामलों में ग्रंथालय का उपयोग करने की अनुमति पैरा 4 एवं 5 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

   (i) कोई भी पुस्तक, पत्रिका या अन्य दस्तावेज ग्रंथालय के बाहर नहीं ले जाये जा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति पुस्तकों के कमरे व अलमारियों, रैकों और पुस्तक केसों आदि में रखी पुस्तकों, इत्यादि को इधर-उधर नहीं करेगा। उसे जिन पुस्तकों की आवश्यकता है वे उसे ग्रंथालय के कर्मचारियों द्वारा दी जायेंगी और वे संसद ग्रंथालय से बाहर निकलने से पूर्व लौटानी होंगी।

   (ii) संसद ग्रंथालय की किसी पुस्तक, प्रतिवेदन, अभिलेख आदि को संदर्भ के लिए देखने हेतु जारी करना या न करना ग्रंथालय के प्रभारी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के विवेकाधीन होगा।

   (iii) कोई भी लिपिकीय अथवा टंकण सहायता नहीं दी जायेगी।

(iv) अध्ययन का समय संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा निश्चित किया जाएगा।

6. ग्रंथालय सुविधाएं भारतीय और विदेशी प्रेस संवाददाताओं को भी दी जा सकती हैं जो उपर्युक्त नियम 2 के अधीन संसद सदस्यों के वैयक्तिक कर्मचारियों और शोध अध्येताओं के लिए यथा प्रयोज्य एक समान शर्तों के अध्यधीन होंगी।

7. पूर्व संसद सदस्य लोक सभा सचिवालय की बजट और भुगतान शाखा में 2500/- रुपये की प्रतिभूति जमा कराके ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

8. संसद ग्रंथालय सभी कार्य-दिवसों में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक खुला रहेगा। सत्रावधि के दौरान संसद ग्रंथालय भवन 09.00 बजे से 19.00 बजे तक अथवा सभाओं के दिन भर के लिए स्थगित होने तक, दोनों में से जो भी बाद में हो, खुला रहेगा। सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय तीन राष्ट्रीय अवकाशों तथा होली के दिन को छोड़कर सभी शनिवार/रविवार और छुट्टी के दिनों में भी 10.00 बजे से 14.00 बजे तक खुला रहेगा।

9. पुस्तकें तथा अन्य प्रकाशन जारी किए जाने के सभी अनुरोध निर्धारित प्रपत्र पर प्रभारी अधिकारी से किए जाएंगे। प्रत्येक प्रपत्र पर एक से अधिक पुस्तक/प्रकाशन नहीं भरा जाएगा।

10. सामान्यत: किसी सदस्य को एक साथ दो पुस्तकों और दो अन्य प्रकाशनों (किसी पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन के खंडों सहित) से अधिक पुस्तकें/प्रकाशन उधार नहीं दिए जाएंगे

11. (क) किसी सत्र की समाप्ति पर संसद सदस्य द्वारा संसदीय ग्रंथालय से ली गई पुस्तकें और अन्य प्रकाशन मुख्यालय से बाहर जाने से पहले संसद ग्रंथालय को वापस की जाएंगी। दिल्ली में रहने वाले संसद सदस्य सदा की तरह ग्रंथालय का उपयोग करते रहेंगे।

(ख) संसद सदस्य द्वारा संसदीय ग्रंथालय से ली गई कोई पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।

12. (क) संसद के सत्रों के दौरान संसदीय ग्रंथालय से ली गई पुस्तकें और अन्य प्रकाशन पन्द्रह दिनों से अधिक समय तक नहीं रखे जाएंगे किन्तु, यदि उनके नवीनीकरण के लिए अग्रिम रूप से आवेदन किया जाए और बशर्ते उनकी मांग न हो, तो इस अवधि को सात दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ख) अन्तर–सत्रावधि के दौरान पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों को 30 दिनों की अवधि से अधिक नहीं रखा जा सकता है।

13. ग्रंथालय से जारी करायी गई पुस्तकें/प्रकाशन की किसी महत्वपूर्ण अथवा अत्यावश्यक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथालय प्रभारी इसे किसी भी समय वापस मांग सकता है और सदस्य 24 घंटे के भीतर यह पुस्तक/प्रकाशन वापस करेगा।

14. कोई भी सदस्य, जिसे किसी ऐसी पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन की आवश्यकता है, जो जारी हो चुका है, तो उसे परिचालन फलक पर अपने लिए आरक्षित करा सकता है और इस प्रकार की पुस्तक/प्रकाशन जैसे ही वापस मिलती है, सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाएगा।

15. (क) किसी भी स्थिति में, कोई भी सदस्य किसी पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन को सत्रकाल के दौरान 15 दिन अथवा अन्तर- सत्रावधि के दौरान 30 दिन से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगा। चूककर्ता सदस्य को तब तक कोई अतिरिक्त पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन जारी नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह अपने नाम बकाया पुस्तक/प्रकाशन संसदीय ग्रंथालय को नहीं लौटा देता। यदि ग्रंथालय के अन्य प्रयोक्ताओं की ओर से उन पुस्तकों की मांग न हो, तो ऐसी

पुस्तकों को पुनः जारी कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु पुस्तकें, पुस्तक-परिचालन काउंटर पर वास्तव में लौटायी जाएंगी तथा उसके एक सप्ताह पश्चात् उन्हें पुनः जारी कराया जाएगा।

(ख) पुस्तकों/प्रतिवेदनों/प्रकाशनों, जिनकी सदस्यों को आवश्यकता होती है और जिन्हें सदस्यों के लिए ग्रंथालय में सदस्य अध्ययन कक्ष में रखा जाता है, को केवल दो सप्ताह के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा। दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर इन पुस्तकों/प्रतिवेदनों/प्रकाशनों को शेल्फ पर वापस रख दिया जाएगा, यदि आगे समय बढ़ाये जाने की मांग नहीं की जाती है।

16. यदि कोई पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन देय तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् ग्रंथालय को नहीं लौटायी जाती है तो इसे खोया हुआ मान लिया जाएगा और संबंधित सदस्य से नीचे दर्शाए गए रूप में प्रतिस्थापन मूल्य वसूल करने हेतु कदम उठाए जाएंगे:

क्र.सं.	प्रकाशन	वसूल की जाने वाली कीमत
(i)	गत पांच वर्ष के दौरान मुद्रित भारतीय पुस्तकें/प्रकाशन	मूल कीमत का दो गुना
(ii)	पांच वर्ष से अधिक समय पूर्व मुद्रित भारतीय पुस्तकें/प्रकाशन	मूल कीमत का तीन गुना
(iii)	गत पांच वर्षों के दौरान मुद्रित विदेशी प्रकाशन	मूल कीमत का दो गुना
(iv)	पांच वर्ष से अधिक समय पूर्व मुद्रित विदेशी प्रकाशन	मूल कीमत का तीन गुना
(v)	'अनुपलब्ध' (आउट ऑफ प्रिन्ट) विदेशी प्रकाशन	मूल कीमत का पांच गुना
(vi)	'अनुपलब्ध' (आउट ऑफ प्रिन्ट) भारतीय पुस्तकें/प्रकाशन	मूल कीमत का पांच गुना

क्र.सं.	प्रकाशन	वसूल की जाने वाली कीमत
(vii)	भारतीय अथवा विदेशी प्रकाशन जिसका मूल्य अंकित नहीं है	1 रुपए प्रति पृष्ठ

17. विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिका, वार्षिकी, एटलस, पत्रिकाएं (नए और पुराने संस्करण), कला, चित्रकारी संबंधी पुस्तकें, और अन्य सचित्र पुस्तकें, दुर्लभ पुस्तकें, पुस्तकें जिनका मुद्रण नहीं हो रहा है, संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र (वर्तमान एवं पिछले अंक) समाचार पत्रों की कतरनों के फोल्डर (नए और पुराने), धारावाहिक एवं क्षतिग्रस्त और फटी-पुरानी पुस्तकें जारी नहीं की जाएंगी। इन पुस्तकों/प्रकाशनों/फोल्डरों को संसद ग्रंथालय के परिसर में ही संदर्भ हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा।

18. सदस्यों को नई पुस्तकें अथवा अन्य प्रकाशन 'नवीनतम पुस्तकें' नामक पृथक शेल्फ में एक सप्ताह तक प्रदर्शित करने के बाद ही जारी किये जायेंगे। इस शेल्फ में रखी जाने वाली हर किताब पर वह तिथि अंकित की जाएगी जब तक इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

19. पुस्तकों अथवा प्रकाशनों पर किसी प्रकार का चिह्न लगाने, रेखांकित करने और लिखने की सख्त मनाही है।

20. किसी विधेयक अथवा संकल्प अथवा अन्य मामले, जिस पर अभी चर्चा की जा रही है अथवा किसी सभा में शीघ्र ही चर्चा आरंभ की जाने वाली है, से संबंधित पुस्तकें और प्रतिवेदन सदस्यों को तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि वह मामला संसद के समक्ष विचाराधीन है।

21. संसद ग्रंथालय से जारी होने की तारीख से लौटाए जाने की तारीख तक पुस्तक या अन्य प्रकाशन के प्राप्तकर्ता ही उस

पुस्तक या अन्य प्रकाशन के समुचित रख-रखाव के उत्तरदायी होंगे और किसी प्रकार की क्षति अथवा खो जाने की स्थिति में प्राप्तकर्ता को उस पुस्तक या अन्य प्रकाशन को या तो प्रतिस्थापित करना होगा या इन नियमों में विहित प्रतिस्थापन मूल्य अदा करना होगा।

22. पुस्तकें/प्रकाशन जारी करने एवं उन्हें प्राप्त करने के संबंध में संसद ग्रंथालय के परिचालन काउंटरों पर सदस्यों की पासबुकें रखी जाएंगी। पुस्तक/प्रकाशन जारी करते समय सदस्य पासबुक के संबंधित खाने में हस्ताक्षर करेंगे कि पुस्तक/प्रकाशन प्राप्त कर लिया गया है। पुस्तक/प्रकाशन लौटाए जाने के समय परिचालन काउंटर पर कार्यरत ग्रंथालय कर्मचारी पुस्तक/प्रकाशन प्राप्त होने के संकेत स्वरूप पासबुक में हस्ताक्षर करेगा।

23. यदि कोई सदस्य स्वयं ग्रंथालय तक आने में असमर्थ है, तो वह अपने निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक के माध्यम से पुस्तकें प्राप्त कर सकता है बशर्ते वह विहित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। तथापि, सदस्यगण पुस्तकों की अभिरक्षा और उनकी वापसी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

24. संसद ग्रंथालय के प्रयोक्ता ग्रंथालय परिसर में पूर्ण शांति बनाए रखेंगे।

25. संसद ग्रंथालय के किसी भी भाग में धूम्रपान करना और वाचनालय में भोजन करना, उपहार लेना पूर्णतः निषिद्ध है।

26. कोई भी अज्ञात व्यक्ति संसद ग्रंथालय के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ कोई सदस्य अथवा संसद का कोई अधिकारी न हो।

27. नई पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की खरीद से संबंधित सुझाव परिचालन कांउटर पर रखे विहित प्रपत्र में दिए जाएंगे।

28. संसद ग्रंथालय में प्रवेश संबंधी विनियम उन आदेशों और अनुदेशों के अध्यधीन होंगे जो समय-समय पर विहित किए जाएं।

पुस्तकों/पत्रिकाओं का प्रदर्शन

ग्रंथालय में शामिल की गई नई पुस्तकों को ग्रंथालय (भूमि तल), संसद ग्रंथालय भवन में एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस अवधि में ये पुस्तकें जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, सदस्यगण परिचालन काउंटर पर उपलब्ध विहित प्रपत्र को भरकर पुस्तक के प्रदर्शन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसे जारी करने के लिए आरक्षित करा सकते हैं। इसके अलावा, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भी ग्रंथालय में प्रदर्शित किया जाता है।

राज्यों से प्राप्त विधायी प्रपत्र

इसके अलावा, राज्य विधान सभाओं के साथ ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि उनके विधायी पत्र जैसे कार्यावलि, प्रश्न सूची, विधेयक इत्यादि मिलते रहें। ये पत्र सदस्यों के अवलोकनार्थ ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।

वाचनालय सुविधा

संसद ग्रंथालय में अध्ययन करने के इच्छुक सदस्यों के लिए संसद सदस्य वाचनालय में पढ़ने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सदस्य संदर्भ देखने में सुविधा के लिए पुस्तकें आरक्षित भी करा सकते हैं। शोधकर्ता और अन्य व्यक्ति भी अध्ययन हेतु केवल निर्धारित अवधि के लिए ग्रंथालय का उपयोग कर सकते हैं।

गजट और वाद-विवाद अनुभाग

पुस्तक सूची

संसद ग्रंथालय के कार्यकलापों को वर्ष 1992 के दोरान 'लिबसिस' (एलआईबीएसवाईएस) सॉफ्टवेयर पैककेज का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 'लिबसिस' एक समेकित ग्रंथालय अनुप्रयोग वेब-समर्थित सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसमें ग्रंथालय के लगभग सभी कार्य जैसे पुस्तकों का

अर्जन, प्रसंस्करण और पुस्तकें जारी करना तथा उनकी वापसी आदि शामिल हैं। वर्ष 2016 में 'लिबसिस' सॉफ्टवेयर का उन्नत वर्जन अर्थात 'लिबसिस'-7 लागू किया गया है।

पुस्तकों और प्रतिवेदनों के संपूर्ण ग्रंथ-सूची संबंधी ब्यौरे कम्प्यूटर में 'लिबसिस' सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं। ग्रंथालय पुस्तक सूची भारत की संसद के होमपेज http://loksabha.nic.in से संसद ग्रंथालय-खोज-पुस्तक सूची खोज के तहत देखी जा सकती है।

कम्प्यूटरीकृत पुस्तक सूची के अलावा, पुस्तक सूची की मैन्यूअल खोज हेतु शेल्फ सूची कार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं।

संसद ग्रंथालय समाचार (मासिक): यह लोक सभा सचिवालय की लार्डिस सेवा के संसाधन अनुभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य संबंधित माह के दौरान संसद ग्रंथालय की सामग्री में हुई नई वृद्धि के बारे में संसद सदस्यों और अन्य पाठकों को अवगत कराना है। इसमें जोड़ी गई नई वस्तुओं के ग्रंथ-सूची संबंधी ब्यौरे, अर्थात पुस्तकें (अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में), प्रतिवेदनों (केन्द्रीय और राज्य सरकार), संयुक्त राष्ट्र और विदेशी प्रकाशनों सहित संसद ग्रंथालय, संसद संग्रहालय, चिल्ड्रन कार्नर और प्रकाशनों के अद्यतन अंकों, सामाजिक पत्रों/संदर्भ नोट्स/सूचना समाचार इत्यादि की भी जानकारी दी जाती है।

समाचार की मुद्रित प्रतिया 'डी' शाखा के माध्यम से ग्रंथागार समिति के सदस्यों को भेजी जाती है। इसकी एक प्रति अन्य लार्डिस प्रकाशनों के साथ डिस्पले स्टैंड पर भी प्रदर्शित की जाती है।

समाचार के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को भी ई-मेल के माध्यम से लोक सभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संसद सदस्यों और लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सभा के सभापति, उप सभापति और महासचिव को भेजा जाता है। इसे संसद के होमपेज पर अर्थात http://loksabha.nic.in पार्लियामेंट लाइब्रेरी-न्यू एडिशन्स पर भी देखा जा सकता है।

गजट और वाद-विवाद अनुभाग

संसदीय ग्रंथालय भवन के 'जी' ब्लाक के प्रथम बेसमेंट के हॉल संख्या 25 में स्थित यह अनुभाग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के वाद-विवाद,

संविधान सभा के वाद-विवाद, अनंतिम संसद के वाद-विवाद लोक सभा के वाद-विवाद राज्य सभा के वाद-विवाद, राज्य विधान सभाओं और विदेशी संसदीय (आस्ट्रेलियां, कनाडा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यू.के. और यू.एस.ए.) वाद-विवादों का रख-रखाव करता है और संसद के सदस्यों और उनके वैयक्तिक सचिवों/वैयक्तिक सहायकों, संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, शोध अध्येताओं तथा संसदीय संस्थानों के कार्यकरण में लगे हुए लोगों के संदर्भ और शोध हेतु लोक सभा और राज्य सभा के वाद-विवाद की सूचियां तैयार करता है। इस अनुभाग में संघीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की राजपत्र अधिसूचनाओं का भी रख-रखाव किया जाता है। लोक सभा की कार्यवाहियों का मूल शब्दशः वृत्तलेखन और सभा पटल पर रखे गए पत्रों के सजिल्द खंडों का रख-रखाव भी इस अनुभाग में किया जाता है। लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियों के सारांश का भी रख-रखाव किया जाता है। इन दस्तावेजों को संसद ग्रंथालय भवन के 'जी' ब्लॉक के बेसमेंट I और बेसमेंट II में क्रमबद्ध तौर पर रखा गया है।

प्रशासन और परिरक्षण अनुभाग

प्रशासन और परिरक्षण अनुभाग ग्रंथालय के सामान्य प्रशासन, ग्रंथालय संपत्ति के रख-रखाव और परिरक्षण, शोध छात्रों (भारतीय और विदेशी) और संसद सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ, विधान सभाओं के सदस्यों एवं स्टाफ और विदेशी सांसदों, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सांविधिक निकाय के अधिकारियों, भारतीय तथा विदेशी प्रेस संवाददाताओं आदि को ग्रंथालय सुविधाएं प्रदान करने, प्रकाशनों की जिल्दसाजी, भारतीय और विदेशी शिष्ट मंडलों को संसद ग्रंथालय भवन में घुमाने (शो-राउण्ड)की व्यवस्था करने का कार्य करता है।

अधिनियम और विधेयक अनुभाग

कमरा सं. एफ बी 060, 'आई' ब्लॉक, संसद ग्रंथालय भवन में स्थित अधिनियम और विधेयक अनुभाग केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों, केन्द्रीय और राज्य सरकार के नियमों,

संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदनों, भारत के संविधान, कार्य के आबंटन संबंधी नियमों, विदेशी अधिनियमों आदि का परिरक्षण और रख-रखाव करता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों, भारत के संविधान और कार्य के आवंटन संबंधी नियमों में संशोधन करता है ताकि उन्हें अद्यतन रखा जा सके।

इस अनुभाग द्वारा सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की लोक सभा या राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में दस प्रतियां भी सदस्यों की मांग को पूरा करने के लिए प्राप्त की जाती हैं और उनका रख-रखाव किया जाता है। वर्ष के अंत में लोक सभा/राज्य सभा में पुर:स्थापित/पारित रूप में केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के पांच सैटों को अनुक्रमणिका सहित जिल्दबंद करके भविष्य की संदर्भ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी परिरक्षण हेतु ग्रंथालय में रखा जाता है। संसद ग्रंथालय में इन विधेयकों के 1921 के बाद से जिल्दबंद खंड उपलब्ध हैं।

इस अनुभाग में संयुक्त/प्रवर समिति (विधेयकों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर गठित) के प्रतिवेदनों की 1921 के बाद की प्रतियों का भी लोक सभा/राज्य सभा में यथा प्रस्तुत रूप में रख-रखाव किया जाता है। 1836 के बाद से सभी केन्द्रीय अधिनियमों की प्रतियों का इस अनुभाग में परिरक्षण किया जाता है और संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संशोधन अधिनियमों में किये गये उपबंधों के अनुसार आवश्यक संशोधन नियमित रूप से किये जाते हैं। अनुभाग द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों का अद्यतन संशोधित रूप में रख-रखाव किया जाता है।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा संसद सदस्यों को उनके द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर तथ्यात्मक, वस्तुपरक और अद्यतन सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करती है। जिन विषयों के संबंध में सूचना प्रदान की जाती है वे प्राय: विविधतापूर्ण एवं व्यापक होते हैं और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाले विस्तृत क्षेत्रों को समेटे होते हैं। प्राय: ये विषय उन मुद्दों से जुड़े होते हैं जो संसदीय

प्रश्नों जैसे संसदीय उपाय और/अथवा विधायी उपायों जैसे सरकारी विधेयक अथवा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के माध्यम से चर्चा/विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी सदस्य की सूचना संबंधी आवश्यकता उसके एक विधायिका के सदस्य के रूप में निर्वहन की जाने वाली विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं, कार्यों जैसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अथवा विदेशी दौरे पर गए किसी संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि के प्रतिनिधि के रूप में किए जाने वाले कार्यों से जुड़ी होती है। यह सेवा सत्रावधि के अथवा अंतर सत्रावधि में भी सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(i) संगठन

सदस्यों को निश्चित समय के भीतर अद्यतन एवं सर्वाधिक प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सदस्य संदर्भ सेवा वर्तमान में विषयगत आधार पर विभिन्न डेस्कों में विभाजित की गई है, जो इस प्रकार है: कृषि और उपभोक्ता मामले; आर्थिक और वित्तीय कार्य; पर्यावरण; एसडीजी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; मानव संसाधन विकास; उद्योग और निवेश; अवसंरचना और ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कार्य; रक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विधिक और संवैधानिक मामले; राजनीतिक एवं संसदीय मामलों; ग्रामीण विकास; श्रम, रोजगार और सूचना एवं प्रसारण; सामाजिक कार्य और समाज कल्याण। प्रत्येक डेस्क का प्रभारी अधिकारी उसे आबंटित विषय से संबंधित सूचना संग्रहीत करता है और उसे क्रमवार लगवाता है तथा संदर्भ टिप्पणों, पृष्ठभूमि टिप्पणों, सूचना बुलेटिनों, तथ्य पत्रों, ग्रंथ-सूची संबंधी शृंखलाओं, संकलनों, सांख्यिकीय विवरणों इत्यादि के रूप में उन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराता है। सेवा के कार्य को इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि सदस्यों के संदर्भ अनुरोधों के अनुरूप उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

(ii) सुविधाएं

संदर्भ सेवा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:

(i) सदस्यों को प्रकाशित दस्तावेजों से तत्काल सूचना उपलब्ध कराया जाना;

(ii) सदस्यों के लिखित संदर्भ अनुरोधों के प्रत्युत्तर में अद्यतन सूचना, तथ्यपरक आंकड़ों, सांख्यिकीय विवरण इत्यादि का संग्रह और विवरण;

(iii) महत्वपूर्ण प्रकरणों और क्रमशः संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले/लंबित विधेयकों पर संदर्भ टिप्पण/विधायी नोट्स तैयार करना;

(iv) महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रंथ सूची तैयार करना; सामयिक मुद्दों से संबंधित पृष्ठभूमि टिप्पण, सूचना समाचार, तथ्य पत्र एवं सूचना फोल्डर तैयार करना; और

(v) समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न नियमित प्रकाशनों को अद्यतन बनाया जाना और उनका मुद्रण कराना।

(iii) प्राप्त अनुरोधों पर प्रक्रियागत तरीके से कार्य करना

सदस्यों के संदर्भ-अनुरोधों के प्रत्युत्तर में एकत्र की जाने वाली सामग्री का क्षेत्र सामान्यतः संसद की सभा के समक्ष तत्समय प्रस्तुत किसी कार्य से संबंधित विषयों तक ही सीमित होता है। सदस्य अपने लिखित अनुरोध पत्र संसद भवन में स्थित सदस्य सहायता डेस्क पर अथवा संसद ग्रंथालय भवन में सदस्यों के वाचन कक्ष में स्थित एक डेस्क पर दे सकते हैं जिनमें संक्षेप में और स्पष्ट रूप से उन बिंदुओं के बारे में बताया जाना चाहिए जिनके बारे में सूचना मांगी गई हो। उनके पास संदर्भ खंड में दूरभाष पर अथवा वहां के अधिकारी से सीधे अपनी जरूरतों के बारे में बताने का भी विकल्प मौजूद है। सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए और संदर्भ अनुरोध पत्र भरे जाने में सहयोग करने के लिए प्रत्येक सदस्य सहायता डेस्क पर एक अधिकारी उपलब्ध रहता है।

सदस्य संदर्भ सेवा संसद सदस्यों को उनके विकल्प के अनुरूप हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। सदस्यों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से इकट्ठी की जाती है, टिप्पणियों अथवा सारणियों के रूप में जैसा मामला हो विन्यासित और

संपादित की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता है।

(iv) निष्पादित कार्य का विश्लेषण

(क) सदस्य संदर्भ सेवा की लोकप्रियता और उपयोगिता का अनुमान विगत कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त और निपटाए गए संदर्भ अनुरोधों में आई स्पष्ट वृद्धि को देखकर लगाया जा सकता है। 1950 में निपटाए गए 150 संदर्भ अनुरोधों की तुलना में 1960 में 425, 1970 में 700, 1980 में 3627, 1990 में 5167, 2000 में 6508, 2010 में 6681, 2012 में 4900, 2014 में 5425, 2015 में 5596, 2016 में 5291 और 2017 में 5595 अनुरोधों को निपटाया गया।

(ख) **संदर्भ सेवा द्वारा निपटाए गए कार्य के सत्र-वार सारांश** से यह स्पष्ट होता है कि औसत रूप में ग्यारहवीं लोक सभा में सत्रावधि के दौरान 44 संदर्भ प्राप्त किए और निपटाए गए, बारहवीं लोक सभा के दौरान 53 संदर्भ, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 57, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 67 और पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 55 संदर्भों का कार्य संपन्न किया गया। इसकी तुलना में सोलहवीं लोक सभा के दौरान औसत रूप में 76 अनुरोध प्राप्त किए गए और निपटाए गए।

(ग) **पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त संदर्भों के समय और गति संबंधी विश्लेषण** से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 81 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन से संबंधित थे, जिस दिन प्राप्त हुए थे, 17 प्रतिशत संदर्भ 2-3 दिनों के भीतर के लिए होते थे, 2 प्रतिशत 4-7 दिनों के भीतर के लिए और केवल 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक समय के लिए होते थे। जहां तक सोलहवीं लोक सभा का संबंध है, आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औसत रूप में 91 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन निपटाए जाने होते थे, 8 प्रतिशत 2-3 दिनों में निपटाए जाने होते थे,

1 प्रतिशत 4-7 दिनों में, जबकि केवल 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक के भीतर निपटाए जाने होते थे।

(घ) **सोलहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त किए गए संदर्भों के विषय-वार वर्गीकरण के विश्लेषण** से यह पता चलता है कि कुल प्राप्त संदर्भों के 42 प्रतिशत आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थे, 41 प्रतिशत राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दे से जुड़े थे, जो उनसे कुछ ही कम थे। शेष 17 प्रतिशत में से विधिक, संवैधानिक और संसदीय मामलों (10 प्रतिशत), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा रक्षा (5 प्रतिशत) और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से 2 प्रतिशत जुड़े हुए संदर्भ थे।

(v) प्रकाशन

संदर्भ की दृष्टि से मूल्यवान निम्न प्रकाशनों का संकलन, अद्यतनीकरण एवं संशोधन भी समय-समय पर किया जाता है:

- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन (2011 तक अद्यतन एवं संशोधित);
- मंत्रिपरिषद (1947 से 2015);
- पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – पन्द्रहवीं लोक सभा (2009-2014)– प्रत्येक लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर प्रकाशित की जाती है;
- राष्ट्रपतीय अध्यादेश (1950-2014);
- इंडिया: सम फैक्ट्स; और
- लोक सभा में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया गया समय।

(vi) सदस्यों के ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संदर्भ सेवा

ई-संसद और कागज रहित सचिवालय के लिए एक पहल के तौर पर सदस्यों के लाभ के लिए 17 जुलाई, 2017 को सदस्यों का ई-पोर्टल प्रारंभ किया गया है। हस्ताक्षरित अनुरोधों के साथ-साथ, सदस्य अपने प्रश्न सदस्य

ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेज सकते हैं तथा अपेक्षित सूचना ई-पोर्टल के इनबॉक्स में ई-संसाधन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2017 के दौरान सदस्यों से लगभग 429 संदर्भ ऑनलाइन प्राप्त किए गए। कभी-कभी काम आने वाले पत्रों को बड़ी संख्या में डिजिटल फॉर्मेट में अब इस वेबसाइट पर और इंटरानेट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि संसद सदस्य उन्हें ऑनलाइन देख सकें और सचिवालय में उन्हें प्रयोग में लाया जा सके। संदर्भ टिप्पणों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को ई-मेल भी किए जाते हैं।

(vii) संदर्भ डेस्क

इसके अतिरिक्त, संदर्भ खंड संसदीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान प्रतिनिधियों की सूचना आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु संसदीय ग्रंथालय के साथ मिलकर एक संदर्भ डेस्क स्थापित करता है। ऐसे सम्मेलनों के दौरान सामान्यतया चुनिंदा संसदीय प्रकाशन तथा संदर्भ पुस्तकें, वार्षिकी (इयर बुक्स), इत्यादि प्रदर्शित की जाती हैं।

अनुसंधान और सूचना प्रभाग

लार्डिस का अनुसंधान और सूचना प्रभाग, पीठासीन अधिकारियों और संसद के सदस्यों की अनुसंधान और सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। उक्त प्रभाग को निम्नलिखित विशिष्ट कार्यात्मक स्कंधों अथवा अनुभागों में अपने कार्यानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- आर्थिक और वित्तीय मामले स्कंध
- शैक्षिक और वैज्ञानिक मामले स्कंध
- विधिक और संवैधानिक मामले स्कंध
- संसदीय मामले स्कंध
- राजनीतिक मामले स्कंध

- सामाजिक मामले स्कंध
- संसदीय सूचना पत्रिका (जेपीआई) प्रभाग
- परिपाटी एवं प्रक्रिया एकक
- सदस्य परिचय प्रकोष्ठ

(क) संक्षिप्त सार, पृष्ठभूमि टिप्पण, अभिभाषण इत्यादि

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल समय-समय पर अंतर संसदीय संघ (आईपीयू), राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए), वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेन्ट, एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियन्स, मीटिंग ऑफ विमेन स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेन्ट, कॉन्फ्रेंसेज ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफीसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ (सीएसपीओसी) के तत्वावधान में डब्ल्यूटीओ, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जैसे विशिष्ट विषयों पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन/संगोष्ठियों, कार्यशालाओं/क्षेत्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं। भारत से विदेश जाने वाले और विदेशों से भारत में आने वाले संसदीय शिष्टमंडल भी भारत में संसद से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इन कार्यक्रमों के संबंध में यह प्रभाग इन कार्यक्रमों के दौरान विचार-विमर्श हेतु विभिन्न विषयों पर सुअन्वेषित संक्षिप्त पृष्ठभूमि टिप्पण, अभिभाषण, संवाद बिंदु इत्यादि तैयार करता है। संकल्प के मसौदों के अलावा इन मंचों पर विचारित/अंगीकृत सामान्य अथवा विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित ज्ञापनों और उद्घोषणाओं की भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार जांच की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। यह प्रभाग आईपीयू द्वारा रखे जाने वाले संसदीय डाटाबेस के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

भारत में विधायी निकायों के अध्यक्षों के वार्षिक सम्मेलनों, इंडिया रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंसेस, अध्यक्षों के सम्मेलनों, भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) और संसदीय अध्यक्ष और प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी)

में उपयोग किए जाने हेतु भी संक्षिप्त सार, पृष्ठभूमि टिप्पणियां, अभिभाषण और संवाद बिंदु भी तैयार किए जाते हैं। भारतीय संसद द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के दौरान प्रभाग द्वारा दैनिक समाचार डेस्क स्थापित किया जाता है, ताकि शिष्टमंडल के सदस्यों और प्रतिभागियों को जानकारी देने/हर नए घटनाक्रम से अवगत रखने के लिए सम्मेलन से संबंधित समाचारों, कार्यवाहियों, कार्यक्रमों आदि के संबंध में दैनिक समाचार तैयार कर उसका परिचालन किया जा सके।

इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण सम्मेलनों से संबंधित रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं जिनमें ऐसे सम्मेलनों के चुनिंदा फोटोग्राफ और मुख्य अंश भी होते हैं।

(ख) सूचना समाचार

तात्कालिक संसदीय सरोकार के विषयों अथवा ऐसे विषयों जिन पर संसद में चर्चा की जा सकती है, को अभिज्ञात करके यह प्रभाग संसद सदस्यों के बीच परिचालित किए जाने हेतु सूचना समाचार तैयार करता है। इन सूचना समाचारों को लोक सभा के वेबपेज *http://www.loksabha.nic.in* पर अपलोड किया जाता है।

(ग) प्रकाशन/पत्रिकाएं

यह प्रभाग संसदीय कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं तथा अन्य प्रासंगिक विषयों पर समय-समय पर अनेक पुस्तकों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, मोनोग्राफों, पेम्फलेटों इत्यादि का प्रकाशन करता है। यह प्रभाग कौल और शकधर द्वारा लिखित *'प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट'* जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों को आवधिक रूप से संशोधित करता है और उन्हें अद्यतन करता है। यह प्रभाग आम चुनावों के पश्चात नई लोक सभा के गठन के बाद *'लोक सभा सदस्य: संक्षिप्त परिचय'* और लोक सभा सदस्यों के जीवन के बारे में जानकारी देने वाली सदस्य परिचय नामक पुस्तकों का भी प्रकाशन करता है। प्रभाग कम्प्यूटर (साफ्टवेयर) एकक/एनआईसी के समन्वय से वेबसाइट *(www.parliamentofindia.nic.in/www.loksabha.nic.in)* पर सदस्यों के मुख पृष्ठ का रखरखाव करता है और इसे अद्यतन करता है।

देश के स्वतंत्रता संघर्ष में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले तथा/अथवा हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास में वास्तविक योगदान देने वाले प्रख्यात संसदविदों की स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए उनका जीवनवृत्त 'एमिनेंट' पार्लियामेंटेरियन्स मोनोग्राफ्स सिरीज (प्रख्यात संसद्विद् विनिबन्ध शृंखला) / 'कोमेमोरेटिव वॉल्यूम्स' के तहत प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा प्रभाग द्वारा लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों सहित राष्ट्रीय नेताओं के संक्षिप्त प्रोफाइल को संसद के केन्द्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए होने वाले समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों में वितरण के लिए प्रकाशित भी किया जाता है।

यह प्रभाग द्वारा *संसदीय सूचना पत्रिका (त्रैमासिक)* का भी प्रकाशन किया जाता है, जिसमें पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी, संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम सत्रवार समीक्षा और भारत एवं विदेश में विधान मंडलों में घटित महत्वपूर्ण संसदीय घटनाक्रमों और कार्यकलापों का उल्लेख होता है। इस पत्रिका में संसद सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा संसदीय महत्व के मुद्दों पर लिखे गए लेख भी शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडलों के सचिवों तथा अन्य को परिचालित किये जाने हेतु महासचिव के सत्रीय अ.शा. पत्र, जिसमें सभापीठ के महत्वपूर्ण विनिर्णय, संवैधानिक एवं प्रक्रियागत महत्व के महत्वपूर्ण आयोजन और घटनाक्रम, सत्र के दौरान लोक सभा में किए गए ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आदि का उल्लेख होता है, को प्रत्येक सत्र के अंत में प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। *आई.पी.जी. समाचार पत्रिका (त्रैमासिक)* विभिन्न संसदीय घटनाओं और भारतीय संसदीय ग्रुप (आई.पी.जी.) की विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों जैसे संसदीय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान, इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन, कामनवैल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियन्स के सम्मेलनों, सेमीनारों, संगोष्ठियों और बैठकों आदि के बारे में जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है।

लार्डिस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की प्रति सदस्यों को उनके अनुरोध पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अन्य सशुल्क प्रकाशन

जिसमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें शामिल हों, को संसद सदस्यों द्वारा उन प्रकाशनों की विक्रय कीमत पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट के साथ खरीदा जा सकता है।

डिजिटलीकरण एकक

संसदीय पुस्तकालय भारत में पुस्तकों और संसदीय दस्तावेजों के सबसे समृद्ध कोषों में से एक है। यद्यपि लोक सभा की वेबसाइट जो 1996 में शुरू की गई थी पर क्रमशः 12वीं लोक सभा (1997) और 13वीं लोक सभा (1998) से शुरू करके वाद-विवादों और समिति प्रतिवेदनों के डाटाबेस सहित विभिन्न डाटाबेस उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वाद-विवाद (पहली से ग्यारहवीं लोक सभा) संसदीय समिति प्रतिवेदन (पहली से बारहवीं लोक सभा) औरा अन्य महत्वपूर्ण संसदीय प्रकाशन संसदीय पुस्तकालय में केवल भौतिक रूप में ही उपलब्ध हैं। ऐसे सभी संसदीय दस्तावेजों के अभिलेखीय और संदर्भ मूल्य का महत्व समझते हुए, इन दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और संसदविदों, अनुसंधानकर्ताओं, मीडिया और अन्य प्रयोक्ताओं को ऐसे समृद्ध कोष तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये थे।

डिजिटलीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य संसदीय दस्तावेजों से संबंधित सभी जानकारियों के लिए एक एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित करना है। यह परियोजना जुलाई, 2012 में शुरू की गई थी। संसदीय डिजिटल पुस्तकालय का एक वेबपोर्टल *http://eparlip.india.nic.in* पर तैयार किया गया है।

परियोजना का प्रमुख हिस्सा पहली से ग्यारहवीं लोक सभा के वाद-विवादों, जिसमें 45 वर्ष 1952-1997 तक की अवधि है, का डिजिटाइजेशन करना है। परियोजना का दूसरा हिस्सा 1952 से 1998 तक की सभी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को डिजिटाइज करना है। तीसरे चरण में लोक सभा सचिवालय के सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों के अलावा (i) प्रोविजनल पार्लियामेंट के वाद-विवाद (1950-1952); (ii) भारत की संविधान सभा (विधायी) (1947-1949) के वाद-विवाद; (iii) केंद्रीय विधान सभा के वाद-विवाद

(1921-1947); (iv) राज्य सभा के वाद-विवाद (1921-1946); और (v) भारतीय विधान परिषद के वाद-विवाद (1858-1920) शामिल हैं। इसके अलावा, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण बजट भाषण और लोक सभा सचिवालय के चुनिंदा प्रकाशन भी इस परियोजना का भाग हैं।

इस परियोजना को लोक सभा सचिवालय द्वारा स्कैनिंग प्रयोजनों/स्कैन्ड डेटा के बैक अप के लिए प्रगत संगणन निकास केन्द्र (सी-डैक) के सहयोग से और संसदीय डिजिटल पुस्तकालय (पीडीएल) की वेबसाइट तैयार करने के लिए एनआईसी अधिकारियों के सहयोग से शुरू किया गया है। शुरू हो जाने के बाद पीडीएल वेबसाइट से प्रयोक्ताओं को पहली से सोलहवीं लोक सभा के सभी संसदीय दस्तावेजों तक खुली पहुंच उपलब्ध होगी। डिजिटाइजेशन का दोहरा उद्देश्य प्रयोक्ताओं को किसी भी समय और कहीं भी अभिलेखीय वाद-विवाद तक पहुंच उपलब्ध कराना और इन वाद-विवादों की वास्तविक प्रतियों का परिरक्षण करना है। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण अनुकूल है अपितु लागत कुशल होने के साथ-साथ पेपरलेस सचिवालय की ओर एक कदम भी है।

संसद सदस्यों के लिए कंप्यूटर सुविधाएं

सांसदों की तत्काल सूचना संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके कार्यालयों को स्वचालित बनाने के लिए उन्हें 'कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद हेतु लोक सभा सदस्य के 'वित्तीय हकदारी योजना' के माध्यम से कंप्यूटर उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के तहत सदस्यों को कम्प्यूटर उपस्कर [डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटॉप कम्प्यूटर, पेन ड्राइव, प्रिंटर (डेस्कजेट/ लेजरजेट/मल्टी फंक्शन/पोर्टेबल), स्कैनर, यू.पी.एस. (केवल डेस्कटॉप के साथ), हैंड हेल्ड कम्यूनिकेटर/कम्प्यूटर डाटा इंटरनेट कार्ड, एम.एस. आफिस सुइट] मदों की किसी भी मद अथवा सभी को खरीदने का अधिकार है। इससे सदस्यों को इंटरनेट के माध्यम से विविध प्रकार की गतिविधियों के संबंध में तत्काल और अद्यतन जानकारी लेने में; अपने कार्यालय के कार्य को व्यवस्थित करने; अपने डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त करने/भेजने में; विधायी और संसदीय मामलों आदि के संबंध में शीघ्र और सही जानकारी प्राप्त करने आदि में मदद मिलती है।

संसद सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर केन्द्र, लोक सभा सचिवालय में एक डिजिटल लायब्रेरी की स्थापना की गयी है। संसद सदस्यों की रुचि के मुख्य क्षेत्र और नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकासों को ध्यान में रखते हुए डी.वी.डी., सी.डी., टेप फ्लापियों का संग्रह विकसित किया जा रहा है। 15 मार्च, 1996 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक सी.डी. जारी की गयी जिसमें भारत का संविधान, संविधान सभा के वाद-विवाद शामिल हैं। सदस्य अपने संदर्भ हेतु एक सप्ताह की अवधि के लिए एक बार में दो डी.वी.डी./सी.डी. लेने के लिए हकदार हैं।

प्रलेखन सेवा

प्रलेखन अनुभाग कमरा सं. जी-059, भूमि तल, 'आई' ब्लॉक, संसद ग्रंथालय भवन में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और वर्तमान में संसद ग्रंथालय में प्राप्त होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का, जो संसद सदस्यों, दोनों सचिवालयों के अधिकारियों, शोधकर्ताओं तथा अन्य प्रयोक्ताओं जो ग्रंथ सूची विषयक विवरण, जैसे लेखक का नाम, शीर्षक, लेख के प्रकाशन का नाम तथा तिथि या वर्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं, की अभिरुचि के हो सकते हैं, सूचीबद्ध करने के लिए उत्तरदायी है। किसी खास पखवाड़े के दौरान चयनित लेखों को उचित रूप से कूटबद्ध किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उन्हें शीर्षक प्रदान किया जाता है तथा 'लिबसिस 7 साफ्टवेयर' में डाला जाता है। इन्हें अंग्रेजी संस्करण में 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' तथा हिंदी संस्करण में *'संसदीय प्रलेखन'* आइकन के तहत (*http://parliamentlibraryindia.nic.in*) वेबसाइट के माध्यम से लेखक-वार, शीर्षक-वार और विषय-वार प्राप्त किया जा सकता है।

'संसदीय प्रलेखन' का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सभी संसद सदस्यों, पत्रकारों, शोधकर्त्ताओं और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों को ई-मेल किया जाता है। पूर्व में, यह सूचना एक पाक्षिक प्रकाशन में प्रकाशित की जाती थी जिसे 'प्रलेख पाक्षिक' कहा जाता था (जनवरी, 1975 से दिसम्बर, 1988 तक)। जनवरी, 1989 से इसे 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' और अगस्त, 2008 से हिन्दी संस्करण में 'संसदीय प्रलेखन' के रूप में

प्रकाशित किया जा रहा है। चूंकि प्रलेखन सेवा भारतीय संसद के होम पेज पर उपलब्ध है, इसलिए दोनों प्रकाशनों की कम्प्यूटर जनित प्रतियां सीमित मात्रा में संसद सदस्यों के उपयोग के लिए प्रकाशित की जाती हैं। संसदीय प्रलेखन के जिल्द चढ़े खंड संसद ग्रंथालय में संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

रिप्रोग्राफी सेवा

संसदीय ग्रंथालय की रिप्रोग्राफी सेवा जिसे, 1975 में स्थापित किया गया था, संसद सदस्यों भूतपूर्व संसद सदस्यों, शोधकर्ताओं, लोक सभा, राज्य सभा दीर्घाओं के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों की छायाप्रति संबंधी कार्यालयी आवश्यकताओं को पूरा करने और सचिवालय के अधिकारियों एवं शाखाओं को समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण समाचारों, संसदीय प्रश्नों और वाद-विवादों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के लेखों, पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के उद्धरणों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का काम करती है।

रिप्रोग्राफी सेवा के तीन पृथक एकक हैं:

(क) संसद सदस्य रिप्रोग्राफी एवं टंकण एकक, संसद भवन ग्रंथालय वाचन कक्ष, कमरा सं. 45, संसद भवन में अवस्थित है। यह एकक प्रति पृष्ठ 1/- रुपये की दर से फोटोकॉपी तथा प्रति पृष्ठ 6/- रुपये की दर से सिंगल स्पेस टंकण तथा डबल स्पेस में टंकण हेतु 5 रुपये तथा अतिरिक्त प्रति पृष्ठ के लिए 1/- रुपये की दर से संसद सदस्यों, लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घाओं के लिए अधिकृत पत्रकारों इत्यादि के निजी पत्राचार की फोटोकॉपी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

(ख) संसद सदस्य रिप्रोग्राफी एकक, संसद ग्रंथालय भवन (पीएलबी) कमरा सं. जी-037, जो संसद ग्रंथालय भवन के भूतल में अवस्थित है। (प्रति पृष्ठ 1/- रुपये की दर से) संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, पत्रकारों तथा शोधकर्त्ताओं को फोटोकॉपी भुगतान आधार पर सुविधा उपलब्ध करता है।

(ग) शोध/संदर्भ रिप्रोग्राफी एकक, संसद ग्रंथालय भवन, संसद ग्रंथालय भवन के कमरा सं. एफबी-054 और 54ए में अवस्थित है। यह एकक

अनन्य रूप से सचिवालय के अधिकारियों, शाखाओं तथा समिति के अध्यक्षों के कार्यालयों की फोटोकॉपी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

माइक्रोफिल्मिंग एकक

1987 में स्थापित यह एकक अभिलेख संरक्षण और उपयोग के लिए माइक्रोग्राफी रूप में दस्तावेजों का रख-रखाव करता है। इस एकक ने सभी विधायी और संसदीय वाद-विवादों (1858 के बाद), विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों, सरकारी विधेयकों, सभापीठ के निर्णय/समुक्तियों, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा निदेशों, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों (कार्यवाहियां इत्यादि), 'भारत की संसद' की सभी स्मारिकाओं तथा चुनिंदा दुर्लभ पुस्तकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के माइक्रोफिल्म रोल तैयार किए हैं। सदस्यों द्वारा इन्हें माइक्रोफिल्म रीडर-सह-प्रिंटर पर देखे जाने के लिए इन माइक्रोफिल्मों की अनुलिपि प्रतियां माइक्रोफिल्मिंग एकक (एफबी-152, 'ई' ब्लॉक, प्रथम बेसमेंट, संसद ग्रंथालय भवन) में उपलब्ध हैं।

प्रेस कतरन सेवा

यह सेवा 1956 में सीमित स्तर पर सामयिक विषयों पर संसद सदस्यों तथा अन्य की सूचना आवश्यकताओं के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से शुरू की गई थी। समय के साथ इस सेवा का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। यह सेवा विधायी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुई घटनाओं पर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, अद्यतन समाचार मदें, संपादकीय टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेख एकत्रित करती है। ये कतरनें देश के विभिन्न भागों में प्रकाशित होने वाले 11 हिंदी और 18 अंग्रेजी के समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हिन्दी समाचार पत्र हैं—बिजनिस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, इकोनोमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा (सभी नई दिल्ली से प्रकाशित), आज (वाराणसी), लोकमत समाचार (नागपुर), पंजाब केसरी (पानीपत), राजस्थान पत्रिका (जयपुर)। अंग्रेजी समाचार पत्रों में एशियन एज़, बिजनिस स्टैंडर्ड, इकोनोमिक टाइम्स, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, हिन्दू बिजनिस लाइन, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पायोनियर, स्टेट्समैन, द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून (सभी नई

दिल्ली से प्रकाशित), असम ट्रिब्यून (गुवाहाटी), डक्कन हेराल्ड (बंगलुरू), फ्री प्रेस जर्नल (मुम्बई), कश्मीर टाइम्स (जम्मू), टेलीग्राफ (कोलकाता), द हिन्दू (चेन्नई) शामिल हैं।

प्रेस कतरनों का उपयोग व्यापक रूप से सदस्यों, शोध और संदर्भ स्टाफ और साथ ही लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों की विभिन्न शाखाओं, संसद ग्रंथालय का दौरा करने वाले शोधकर्त्ताओं तथा अधिकृत पत्रकारों द्वारा भी किया जाता है।

प्रेस कतरनों का वर्णक्रमानुसार विषय फोल्डरों में रख-रखाव किया जाता है तथा डिवि दशमलव वर्गीकण प्रणाली पर आधारित विशेष रूप से विकसित किए गए वर्गीकरण योजना के अनुसार उचित क्रम में लगाए जाते हैं। इन फोल्डरों को जारी नहीं किया जाता है, परंतु इन्हें संसद ग्रंथालय के वाचनालय तथा प्रेस कतरन अनुभाग में देखा जा सकता है। वर्तमान में प्रेस कतरन अनुभाग संसद ग्रंथालय के प्रथम बेसमेंट के 'के' ब्लॉक में अवस्थित है।

पुरानी प्रेस कतरनों की जांच नियमित रूप से की जाती है। अधिकांशतः प्रेस कतरनों को पांच वर्षों तक रखा जाता है। महत्वपूर्ण प्रेस कतरनों, जिनका लम्बे समय तक महत्व रहता है और जिनका संवैधानिक, संसदीय और विधिक महत्व है, की जांच के बाद इन्हें स्थायी रूप से रखा जाता है।

संसद ग्रंथालय की विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण की चालू प्रक्रिया की तर्ज पर प्रेस कतरन सेवा का डिजिटलीकरण जून, 2011 से शुरू किया गया है। विषयगत रुचि पर महत्वपूर्ण प्रेस कतरनों की छवियां एनआईसी द्वारा अभिकल्पित और विकसित सॉफ्टवेयर 'ई-समाचार कतरन सेवा' के प्रयोग से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लोक सभा इंट्रानेट पर स्कैन/अपलोड की जा रही हैं। जनवरी, 2017 से यह सेवा पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो चुकी है और ई-सरकार पत्रों से सभी प्रेस कतरनों को पीडीएफ फार्मेट में सुरक्षित रखा जाता है। ये कतरनें संसद भवन परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े कंप्यूटरों से वर्गीकरण संख्या, विषय, संकेतशब्दों, समाचार पत्रों तथा तारीखवार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

श्रव्य-दृश्य और प्रसारण एकक

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई प्रगति और संसद में होने वाली बहस के संबंध में सभी नागरिकों को जानकारी दिलाने के दृष्टिगत राज्य सभा सचिवालय और लोक सभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही को रिकार्ड करने और उसे प्रसारित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में उस समय एक शुरुआत की गई थी, जब संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के संबोधन का 20 दिसम्बर, 1989 को पहली बार 'सीधा प्रसारण' किया गया था। बाद में कार्यवाही के उपलब्ध रिकॉर्डों को यू-मैटिक, बीटाकैम, वी.एच.एस., डी.वी.सी. प्रो कैसेट के रूप में देखने और रखने के लिए 1992 में एक दृश्य-श्रव्य ग्रंथागार स्थापित किया गया।

लोक सभा की कार्यवाही 22 मार्च, 2006 तक यू-मैटिक कैसेटों/बीटाकैम टेपों पर रिकार्ड की गई थी। तथापि, उसके पश्चात् लोक सभा की कार्यवाहियां डी.वी.सी. प्रो कैसेटों पर रिकॉर्ड की जा रही हैं।

लोक सभा संसदीय आयोजनों की कार्यवाहियों और लोक सभा टेलीविजन चैनल के कार्यक्रमों की रिकार्डिंग्स की वीडियो-डीवीडी की प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य दृश्य-श्रव्य और प्रसारण एकक, से संपर्क कर सकते हैं जो सदस्यों से ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही करता है। तथापि, सदस्यों द्वारा इन रिकार्डिंग्स का केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए।

दृश्य कक्ष सहित यह एकक संसद ग्रंथालय, संसद भवन में 1992 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2002 में संसद ग्रंथालय का स्थान बदलने के बाद से दृश्य-श्रव्य और प्रसारण एकक एवं संसद ग्रंथालय भवन में कमरा सं. जी-140 (भूतल) पर कार्य कर रहा है जिसमें एक 'दृश्य कक्ष' तथा एक 'संपादन कक्ष' है। यह एकक सामग्री के संग्रहण, परिग्रहण संरक्षण और संसदीय कार्यवाहियों और अन्य संसदीय समारोहों जैसे सम्मेलन संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, कार्यशालाएं, संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर टेलीफिल्में तथा लोक सभा टेलीविज़न चैनल (एलएसटीवी) के कार्यक्रमों के कैसेटों को तत्काल पुनःप्राप्त करने हेतु कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करने के कार्य को देखता है। संसद सदस्यों के लिए वीडियो रिकार्ड्स

देखने/सुनने और भाषा पाठ्यक्रमों की सुविधा है। लोक सभा सदस्यों को उनके उपयोग हेतु उनके भाषणों की प्रतियों को डीवीडी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। यह एकक कार्यक्रमों की रिकार्डिंग के लिए चैनल को ब्लैंक कैसेट्स/डीवीडी/वीसीडी भी प्रदान करता है तथा रिकॉर्ड किए गए कैसेटों का परिरक्षण भी करता है।

श्रव्य-दृश्य ग्रंथालय वर्ष 1992 से लोक सभा की चुनिंदा रिकॉर्डिंग्स को और वर्ष 1994 से पूरी रिकॉर्डिंग्स को प्रसारण योग्य गुणवत्ता के वीडियो कैसेट्स में परिरक्षित कर रहा है। यह एकक वर्ष 1992 से राज्य सभा की कार्यवाहियों को वीसीडी/डीवीडी फार्मेट में परिरक्षित भी करता है।

संसद सदस्यों के लिए भाषा पाठ्यक्रम

इस एकक में उपलब्ध भाषा पाठ्यक्रमों (श्रव्य और दृश्य कैसेट्स) में निम्नलिखित शामिल हैं:

श्रव्य कैसेट

(i) अंग्रेजी माध्यम से कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम;

(ii) असमिया, बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलुगु में टीकाओं द्वारा हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम;

(iii) 23 विदेशी भाषाओं अर्थात् अरबी, चीनी, डैनिश, डच, फिनिश, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, आइसलैंडी, इण्डोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मलय, नौर्वेजियन, फारसी, पोलिश, पुर्तगाली, रूसी, सर्बो-क्रोएशियाई, स्पेनिश और स्वीडिश भाषाओं के अंग्रेजी माध्यम से लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम;

(iv) अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम; और

(v) हिन्दी माध्यम से अंग्रेजी लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम।

वीडियो कैसेट्स

चार विदेशी भाषाओं अर्थात् फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और स्पेनिश में अंग्रेजी माध्यम से लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम।

चुनिंदा संसदीय कार्यवाही का प्रसारण 20 दिसंबर, 1989 को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के सीधा प्रसारण के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण नियमित आधार पर किया जा रहा है। प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार संसद की दोनों सभाओं में प्रश्न काल की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया गया और दूसरे दिन सुबह प्रसारित किया गया। 2 दिसंबर 1991 को पहली बार लोक सभा में प्रश्नकाल की टेली फिल्म तैयार की गई और दूसरे दिन सुबह यानि 3 दिसंबर, 1991 को इसे प्रसारित किया गया। इसी प्रकार, 9 दिसंबर, 1991 को पहली बार राज्य सभा के प्रश्न काल पर टेली फिल्म बनायी गई और इसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन सुबह प्रसारित की गई। बाद में रेल और आम बजट का पहली बार सीधा प्रसारण 25 फरवरी, 1992 और 29 फरवरी, 1992 को किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री लोक सभा में विपक्ष के नेता और विभिन्न अन्य दलों के नेताओं के महत्वपूर्ण भाषणों का संक्षिप्त प्रसारण दर्शकों के लाभ हेतु विभिन्न दलों के विचारों को सामने लाने के लिए किया गया। प्रारंभ में लोक सभा के चुनिंदे कार्यवाही को ही रिकार्ड किया जाता था। 18 अप्रैल, 1994 से लोक सभा की पूरी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की गई है।

लोक सभा कार्यवाही 'लाइव' का प्रसारण करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में, संसद भवन से 10 से 15 किमी की दूरी के भीतर प्रसारण करने के लिए 25 अगस्त 1994 को संसद भवन में एक लो पावर ट्रांसमीटर (एलपीटी) स्थापित किया गया था। एक और लो पावर ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ, राज्य सभा की कार्यवाही का 7 दिसंबर, 1994 से लाइव प्रसारण किया गया था। तब से, दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर पूरे देश में, दोनों सदनों

के 'प्रश्नकाल' की कार्यवाही भी हर सप्ताह बारी-बारी से लाइव प्रसारित की गयी थी। आकाशवाणी भी, हर सप्ताह बारी-बारी से दोनों सदनों के प्रश्नकाल की रिकार्डिंग का प्रसारण करता है। डीडी न्यूज चैनल के लॉन्च के बाद से, दूरदर्शन संसद के वर्ष 2003 के शीतकालीन सत्र से, हर सप्ताह बारी-बारी से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल और डीडी न्यूज चैनल पर लोक सभा और राज्य सभा दोनों के प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण कर रहा है।

राज्य सभा और लोक सभा की कार्यवाही 'लाइव' प्रसारण के लिए ऑडियो विजुअल यूनिट के समन्वय में दूरदर्शन द्वारा 14 दिसंबर, 2004 को दो अलग समर्पित उपग्रह चैनल स्थापित किए गए थे। 24 जुलाई 2006 से, एलएसटीवी चैनल लोक सभा की कार्यवाही 'लाइव' प्रसारण कर रहा है। लोक सभा सचिवालय द्वारा 24 घंटे का चैनल चलाया जा रहा है, सर्विस किया जा रहा है और वित्त पोषित किया जा रहा है। सत्र अवधि के दौरान लोक सभा की कार्यवाही का प्रसारण करने के अलावा, चैनल सामयिक हितों के विषयों पर कई कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण भी करता है।

लोक सभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, प्रसारण वेबकास्टिंग और प्रसारण और अन्य संसदीय कार्यक्रमों और गतिविधियों और संसद सदस्यों, मीडिया और अन्य सदस्यों को कैसेट या डिस्क की आपूर्ति के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारण स्थापित मानदंडों और मानकों के अनुसार है। दिशानिर्देशों को आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

ऑडियो-विजुअल और टेलीकास्टिंग यूनिट दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो के साथ संसद परिसर और अन्य जगहों पर आयोजित अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों की कार्यवाही के प्रसारण के लिए समन्वय करता है। यूनिट सभी संबंधित एजेंसियों को बुनियादी ढांचागत और अन्य सहायता प्रदान करके प्रभावी और निर्बाध प्रसारण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। यह इकाई लोक सभा

और राज्य सभा दोनों में 'प्रश्नकाल' की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के साथ समन्वय करती है।

संसदीय कार्यवाहियों के टेली-फिल्मिंग और टेलीवाइजिंग के विस्तार के रूप में विभिन्न संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं तथा संसद सदस्यों और अन्य के उपयोग के लिए अन्य संबंधित विषयों पर वीडियो फिल्में तैयार की गई हैं। छह संसदीय फिल्में अब तक तैयार की गई हैं। ये हैं: 'गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक', 'संसदीय प्रश्न', 'संसदीय शिष्टाचार और तौर-तरीके', 'वित्तीय समितियां', 'विधानमंडलों में वाद-विवाद को समृद्ध बनाया जाना' और 'प्रभावी सांसद कैसे बनें'।

प्रेस एवं जनसंपर्क स्कंध

लोक सभा सचिवालय के प्रेस एवं जनसंपर्क (पीपीआर) स्कंध का गठन अपैल, 1956 में लोक सभा की कार्यवाही कवर करने के लिए मीडिया को सुविधाएं प्रदान करने और संसदीय संवाददाताओं और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रचार संगठनों और संचार मीडिया के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया था ताकि लोक सभा की संसदीय तथा अन्य गतिविधियों का प्रचार किया जा सके। यह स्कंध लोक सभा की प्रेस दीर्घा (123 के बैठने की क्षमता वाली) से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है जिसमें सभा की कार्यवाही कवर करने वाले संवाददाताओं को प्रेस दीर्घा पास जारी करने और उन्हें कार्यात्मक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

प्रदत्त सुविधाओं में संसदीय पत्र, दैनिक कार्यसूची, समिति प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखे गये अन्य पत्र आदि शामिल हैं। ये सुविधाएं उन सभी प्रत्यायित संवाददाताओं को प्रदान की जाती हैं जिन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा एक वर्ष के लिए फोटो लेमिनेटिड पास दिये जाते हैं। अनुरोध किए जाने पर नि:शुल्क फोटोकॉपी और स्थानीय फैक्स सुविधा भी प्रदान की जाती है। वे संसद ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा अन्य साहित्य

का भी उपयोग कर सकते हैं। संसद सदस्यों को उपलब्ध दृश्य-श्रव्य एकक में संसदीय कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग को देखने की सुविधाओं के साथ-साथ वाद-विवादों आदि के फुटेज लेने की सुविधा मीडिया कर्मियों को भी प्रदान की गयी है।

प्रेस दीर्घा में मीडिया कर्मियों को संसद की कार्यवाहियों के युगपत् भाषांतरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। पत्रकार सभा की कार्यवाहियों को देख सकें, इसके लिए प्रेस दीर्घा और प्रेस कक्षों में बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट भी रखे गये हैं। मीडिया कर्मियों को कक्ष सं. 54 और 73, संसद भवन में कैंटीन सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। संसद भवन में लोक सभा की प्रेस दीर्घा के निकट मीडिया के प्रतिनिधियों को तीन सुसज्जित प्रेस कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। संसदीय ग्रंथालय भवन में एक मीडिया वर्कस्टेशन है, जिसमें टेलीविजन, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा सहित 10 कम्प्यूटर हैं ताकि मीडियाकर्मी अपने संबंधित मीडिया संगठनों को खबरें भेज सकें।

लोक सभा अध्यक्ष द्वारा हर वर्ष लोक सभा की प्रेस दीर्घा के मान्य मीडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों में से 27 सदस्यों वाली लोक सभा की प्रेस सलाहकार समिति गठित की जाती है। समिति के मुख्य कार्य हैं: (i) दीर्घा से सभा की कार्यवही और/अथवा किसी अन्य संसदीय घटना अथवा गतिविधि को देखने और कवर करने के उद्देश्य से समाचार-पत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों को अस्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने की सिफारिश करना; (ii) सभा की कार्यवाहियों को प्रतिवेदित करने वाले समाचार-पत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों को स्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने की सिफारिश करना; (iii) समाचार-पत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच करना और उचित कार्रवाई हेतु लोक सभा अध्यक्ष को सिफारिश करना; (iv) लोक सभा अध्यक्ष से उन सुविधाओं की सिफारिश करना जो उक्त प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दी जा सकती हैं; और (v) उक्त प्रतिनिधियों के कार्यों से संबंधित अन्य कार्यों को करना।

लोक सभा के सत्रों और संसदीय समितियों की बैठकों, विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों के भारत के दौरों तथा भारतीय शिष्टमंडलों के अन्य देशों के दौरों एवं संसद भवन/संसदीय सौध में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में प्रेस और जन-संपर्क स्कंध द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीडिया केन्द्रों की स्थापना करके महत्वपूर्ण संसदीय सम्मेलनों के व्यापक कवरेज के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संसदीय समितियों के अध्यक्षों के सभी प्रेस सम्मेलनों का आयोजन प्रेस एवं जनसंपर्क स्कंध द्वारा किया जाता है। प्रेस दीर्घा के लिए प्रत्यायित संवाददाताओं के साथ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव, लोक सभा की बैठकों की व्यवस्था भी इस स्कंध द्वारा की जाती है।

इस स्कंध द्वारा नयी लोक सभा के गठन के तत्काल बाद लोक सभा की 'सदस्य परिचय' नामक पुस्तक, जिसमें सदस्यों के जीवनवृत्त हैं, में शामिल किए जाने हेतु फोटो एकत्र किए जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ नव-निर्वाचित सदस्यों के फोटो खींचने हेतु एक अस्थायी स्टूडियो की स्थापना की जाती है।

सभा में अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य की सुगम पहचान के लिए सदस्यों के फोटो (चित्रों) और उनके नामों, दल संबद्धता तथा विभाजन संख्या दर्शाने वाला चार्ट इस स्कंध द्वारा तैयार किया जाता है जिसे सदन में अध्यक्ष के पटल पर रखा जाता है। यह सभा के अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संसदीय कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया तथा अन्य कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सूचना फोल्डरों का अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशन किया जाता है जो संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों, प्रेस संवाददाताओं और संसद के आगंतुकों में वितरित किये जाते हैं।

भारतीय संसद और संसदीय समारोहों/घटनाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषयपरक कैलेंडर प्रति वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं जिन्हें संसद सदस्यों, गण्यमान्य व्यक्तियों, भारत में राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है।

देश और विदेश में विशेषकर संसद के सत्रों के दौरान अद्यतन घटनाक्रमों से सदस्यों को अवगत कराने के प्रयोजन से राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों द्वारा सेवा प्रदत्त अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू टेलीप्रिंटर, संसद भवन/संसदीय ग्रंथालय भवन में स्थापित किए गये हैं। इन टेलीप्रिंटरों पर प्राप्त महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह और उनकी जांच की जाती है और तत्काल लोक सभा के अध्यक्ष एवं महासचिव, लोक सभा के ध्यान में लाया जाता है। ऐसे समाचारों को सत्र के दौरान नियमित अन्तराल पर संसद भवन में अध्ययन कक्ष के निकट समाचार प्रदर्शन बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

यह स्कंध समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु, लोक सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त विज्ञापनों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों तक तत्काल पहुंचने के अपने प्रयासों में शाखा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेस विज्ञप्तियों, फोटो आदि जारी करती है।

सदस्य परिचय प्रकोष्ठ और तदर्थ प्रकाशन इकाई

सदस्य परिचय प्रकोष्ठ और तदर्थ प्रकाशन इकाई को हर आम चुनाव और नई लोक सभा के गठन के बाद नव निर्वाचित सदस्यों के जीवनवृत्त के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी या आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी जीवनवृत्त तैयार करने और जीवनी प्रकाशन के लिए संपादित की जाती है। प्रकोष्ठ नियमित आधार पर तीन प्रकाशन करता है, वे हैं: (i) नयी लोक सभा के सदस्यों के स्थायी पता के साथ जीवनवृत्त वाला एक द्विभाषी प्रकाशन; (ii) लोक सभा

में दिल्ली के पते और डिवीजन संख्या के साथ उसी प्रकाशन के संशोधित संस्करण; और (iii) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव परिणामों के साथ सदस्यों के विस्तृत जीवनवृत्त और श्रेणी-वार जानकारी, जैसे कि महिला, सदस्य, राज्य-वार, पार्टी-वार, सदस्यों की सूची-वार सूची और अन्य सांख्यिकीय जानकारी के साथ लोक सभा का 'सदस्य परिचय' (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। प्रकोष्ठ सदस्यों द्वारा प्रकाशित जानकारी को संपादित करता है, इसे प्रामाणिक स्रोतों से क्रॉस-चेक करता है और इसे संबंधित सदस्यों से अधिप्रमाणित करता है।

प्रकोष्ठ समय-समय पर सौंपा गया 'प्रोफाइल हैंडबुक' भी प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान प्रतिनिधियों के उपयोग के लिए होता है। इसके अलावा, प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त विभिन्न अनुरोधों के जांच करता है और आवेदकों द्वारा मांगी गई जीवनवृत्त और सांख्यिकीय डेटा के संबंध में लोक सभा के सदस्यों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रकोष्ठ इस तरह के अन्य प्रकाशन भी करता है/और समय-समय पर सौंपे गए तदर्थ मदों में भाग लेता है, आखिरी ऐसा प्रकाशन हार्ड बाउंड डिलक्स और पॉकेट आकार दोनों में भारत के संविधान के अद्यतन हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण था।

जहां तक विधानमंडल ग्रंथालयों का संबंध है तो संसद ग्रंथालय में बाल कक्ष अद्वितीय व्यवस्था है। बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था केवल नेशनल डाइट लाइब्रेरी ऑफ जापान में विद्यमान है। यह कक्ष कमरा संख्या जी-131, भूमि तल, 'ई'-ब्लॉक, संसद ग्रंथालय भवन में स्थित है।

बाल कक्ष का उद्घाटन माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा 21 अगस्त, 2007 को किया गया था। संसद ग्रंथालय में 'बाल कक्ष' स्थापित करने की उनकी अवधारणा बच्चों, विशेषकर समाज के सुविधाहीन वर्गों के बच्चों, जो उत्तम एवं संसाधनयुक्त ग्रंथालय की सुविधा से वंचित हैं, को सुगमता से ज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में एक पहल है। इसे बच्चों में अध्ययन की आदत विकसित करने और उन्हें संसद ग्रंथालय के विशाल

संसाधनों तथा संसद संग्रहालय एवं अभिलेखागार में प्रदर्शित वस्तुओं से रूबरू होने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

एक उचित तरीके से सजाए गए, बाल कक्ष में अंग्रेजी में 2400 किताबें, हिन्दी में 1700 किताबें और क्षेत्रीय भाषाओं में 100 पुस्तकें और विभिन्न विषयों से संबंधित कई सीडी और डीवीडी शामिल हैं। हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में बच्चों की रुचि के ग्यारह आवधिक/समाचार-पत्र नियमित रूप से बाल कक्ष के लिए खरीदे जा रहे हैं। बाल कक्ष में उपलब्ध दस्तावेज/सीडी/डीवीडी केवल लाइब्रेरी में परामर्श/उपयोग के लिए हैं और जारी नहीं की जाती हैं। बाल कक्ष में इंटरनेट सुविधा वाले कम्प्यूटर से लैस एक अच्छी तरह से विकसित मल्टीमीडिया सेंटर भी है। बच्चों को शैक्षिक उपकरण के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बाल कक्ष को गतिविधियों का एक संवाद केन्द्र बनाने के लिए समय-समय पर ड्राइंग प्रतियोगिता, चित्रकला, और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं जैसे विशेष आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। चिल्ड्रेन कॉर्नर को मुख्य संसद ग्रंथालय के शाखा ग्रंथालय के रूप में स्थापित किया गया है। मान्यता प्राप्त स्कूलों और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चों के छोटे समूह बाल कक्ष का नियमित उपयोग कर रहे हैं।

8 से 17 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चे बाल कक्ष के सदस्य होने के पात्र हैं। (क) संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के बच्चे जिन्होंने संसद ग्रंथालय की सदस्यता प्राप्त की है; (ख) लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालयों और संसदीय कार्य मंत्रालय के स्थायी कर्मचारियों के बच्चे; (ग) लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के लिए अधिकृत पत्रकारों के बच्चे; (घ) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चे; (ङ) मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्रायोजित बच्चे; और (च) संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित बच्चों को बाल कक्ष सदस्यता दी जा सकती है। सदस्यता फॉर्म बाल कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है और इसे "Download Office Forms" में लोक सभा इंट्रानेट से *http://164.100.47.193/intranet/home.htm* पर भी डाउनलोड किया जा सकता है।

लोक सभा वेबसाइट

सदस्यों और जनता के लिए सूचना उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास में, लोक सभा वेबसाइट सदन और इसकी समितियों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक और अद्यतित जानकारी प्रदान करती है।

इसके अलावा, शोध उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने और वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद जानकारी तक पहुंचने के लिए, लोक सभा वेबपेज कई महत्वपूर्ण खोज इंजनों के लिंक प्रदान करता है। लोक सभा वेबपेज पर अन्य उपयोगी लिंक उपयोगकर्ताओं को विभिन्न समाचार-पत्रों, भारत के चुनाव आयोग, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, राज्य विधानसभा, अन्य देशों के संसद, अंतर-संसदीय संघ और अन्य ऐसे निकायों की वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करते हैं।

लोक सभा के बारे में जरूरी जानकारी प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए समग्र जोर दिया गया है और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी जानकारी सदस्यों को आसानी से प्रदान करता है।

विशेष रूप से सदस्यों को समर्पित एक पोर्टल वेबसाइट पर भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और अनुभागों, उनकी संबंधित जिम्मेदारियों और पते और संपर्क संख्या के विवरण सूचना के सीधे संपर्क, त्वरित संपर्क और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए वेब पेज पर उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी के साथ संसद भवन की अभिलेखीय तस्वीरों को दर्शकों को इतिहास की भावना जगाने वाले फोटो एलबम में रखा जाता है। संसद भवन और उसके परिसर को सजाने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों, बस्ट और चित्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। संसद भवन के गलियारे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भित्तिचित्र चित्रों के कई पैनलों पर दावा करते हैं। इन्हें लोक सभा वेबपेज में फोटो गैलरी के रूप में शामिल

किया गया है। माउस को क्लिक करने पर संसद भवन की आभासी यात्रा इस प्रकार अधिक सूचनाप्रद बन गई है।

लोक सभाध्यक्ष की शोध पहल (एसआरआई)

लोक सभाध्यक्ष की शोध पहल (एसआरआई) माननीय अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन के दिमाग की उपज है जिसका उद्घाटन 23 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। यह कानून बनाने, संसदीय बहस, शासन की दृष्टि और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बढ़ते और अधिक जटिल मुद्दे पर अधिक प्रतिक्रिया देने में संसद सदस्यों की सहायता करता है। यह लोक सभा का एक अंग है जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत काम करता है। वर्तमान में, एसआरआई के नौ सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में एक मान्य विशेषज्ञ है।

एसआरआई के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. दीर्घकालिक, रणनीतिक नीति के महत्व के साथ-साथ सामयिक महत्व के प्रमुख क्षेत्रों/मुद्दों की पहचान करना;
2. उच्च गुणवत्ता वाले शोध इनपुट उत्पन्न करने और सूचना प्रसार, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को नवीनतम महत्वपूर्ण ज्ञान और विशेषज्ञता उपलब्ध कराना;
3. सदस्यों और विशेषज्ञों के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करने के लिए परस्पर संवाद, सहभागिता तंत्र तैयार करना।

एसआरआई कार्य के निम्नलिखित चार व्यापक क्षेत्रों को शामिल करता है:

1. राष्ट्रीय और सामयिक महत्व के मुद्दों पर संसद सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है;
2. महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है;

3. देश में युवा विद्वानों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है; तथा

4. उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के साथ विद्वानों के लिए या अपने संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए एक फैलोशिप योजना आयोजित करता है। एसआरआई आठ क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रियाएं, बुनियादी ढांचा और आवास तथा वित्त।

इसके अलावा, एसआरआई समय-समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न प्रकाशन करता है और पृष्ठभूमि तैयार करता है।

एसआरआई प्रकोष्ठ कक्ष संख्या 121, प्रथम तल, संसद ग्रंथालय भवन, लोक सभा सचिवालय में स्थित है।

राज्य सभा में स्थिति

राज्य सभा सचिवालय की विभिन्न सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता के अनुसार, प्रश्न, सदस्यों के वेतन-भत्तों, वेतन और लेखा आदि जैसे सचिवालय के विभिन्न कार्यकलापों को स्वचालित करने के लिए दिसंबर, 1987 में कार्य शुरू किया गया जैसे कि प्रश्न, सांसद वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं लेखा इत्यादि। अब सचिवालय के लगभग सभी कार्यकलापों को स्वचालित किया जा चुका है। सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और राज्य सभा सदस्यों को आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता प्रदान करने के लिए संसद भवन और संसदीय सौध में एक-एक सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग और एनआईसी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(क) राज्य सभा वेबसाइट पर उपलब्ध संसदीय जानकारी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से राज्य सभा को वेबसाइट इंटरनेट पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध हैं और इन्हें वेबसाइट पता *http://rajyasabha.nic.in* और *http://rajyasabhahindi.nic.in* पर देखा

जा सकता है। ये दो पृथक् वेबसाइट हैं और विशेष रूप से राज्य सभा के लिए तैयार की गई हैं और इस पर भारतीय संसद की वेबसाइट *http://parliamentofindia.nic.in* के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। इस समय राज्य सभा वेबसाइट पर सभा और इसकी समितियों के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं संबंधी जानकारी जैसे कि प्रश्न, विधेयक, आश्वासन, वाद-विवाद, समिति संबंधी मामले, सदस्यों के जीवनवृत्त आदि उपलब्ध हैं। अधिकांश सूचनाएं ऑनलाइन डाटाबेसों की सहायता से दी जाती हैं। इस वेबसाइट में निम्नलिखित सूचनाएं समाहित हैं:

राज्य सभा: भारतीय संसद का उच्च सदन (राज्य सभा), इसके पीठासीन अधिकारियों-सभापति एवं उपसभापति का परिचय और सभा के नेता एवं विपक्ष के नेता तथा महासचिव से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

कार्य: इस लिंक में कार्यावलि (कार्यसूची), सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों, संसदीय समाचार भाग-I एवं II, दैनिक कार्यवाहियों का सारांश, संसद द्वारा किए गए कार्य, विशेष उल्लेख, सत्रीय पत्रिका आदि समाहित हैं। व्यापक सर्च सुविधा के साथ विधेयकों (विधान) का डाटाबेस और विधेयकों की प्रगति संबंधी सत्रीय सूचना उपलब्ध है।

प्रश्न: लिंक के अंतर्गत संसदीय प्रश्नों का उत्तर सहित डाटाबेस है। प्रश्न अनेक मानदण्डों अर्थात् सदस्य-वार, तारीख-वार, सत्र-वार इत्यादि के अनुसार खोजे जा सकते हैं।

वाद-विवाद: राज्य सभा के वाद-विवाद राज्य सभा की वेबसाइट के वाद-विवाद पोर्टल–असंशोधित वाद-विवाद और आधिकारिक वाद-विवाद पर उपलब्ध हैं। असंशोधित वाद-विवाद लिंक में वाद-विवादों का मूल प्रारूप अथवा असंशोधित प्रारूप है जो सत्रीय दिवसों के दौरान दैनिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं। आधिकारिक वाद-विवाद लिंक में राज्य सभा के संपादित वाद-विवादों का डिजिटल रूप है। वर्तमान में वाद-विवाद पोर्टल के अंतर्गत 1 से 234वें सत्र तक के डिजिटलीकृत आधिकारिक वाद-विवाद हैं। पोर्टल डाटाबेस से सरल सूचना प्राप्ति के लिए व्यापक सर्च की सुविधा भी मुहैया कराता है।

सदस्यः सदस्यों से संबंधित डाटाबेस में वर्तमान, नाम-निर्देशित एवं पूर्व सदस्यों से संबंधित सूचना शामिल है। वर्तमान एवं नाम-निर्देशित सदस्यों के होम पेज उनके संसदीय कार्यकलापों, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का उपयोग आदि के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। विभिन्न मानदण्डों संबंधी व्यापक सर्च सुविधा भी मुहैया करायी जाती है।

समितियांः राज्य सभा की विभिन्न समितियों की बैठकों, कार्यों, सिफारिशों और सदस्यता संबंधी डाटाबेस तथा समितियों के पूर्ण प्रतिवेदन आसानी से प्रस्तुत करने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि साइट देखने वाले को विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो सकें।

प्रक्रियाएंः नियम, प्रक्रियाएं और पूर्वनिर्णय आसानी से प्राप्य प्रारूप में उपलब्ध हैं। साथ ही विनिर्णय, सभापति के निर्देश एवं समुक्तियां भी सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सचिवालयः सचिवालय की संगठनात्मक संरचना, इसकी सेवाएं और उत्तरदायी अधिकारी/अनुभाग, भर्ती संबंधी नियम, कार्यालय नियम पुस्तिका, वार्षिक प्रतिवेदनों आदि से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

श्रव्य-दृश्यः अभिलेख संबंधी फोटोग्राफ, संसद भवन परिसर के फोटोग्राफ और सचिवालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को दर्शाने वाले फोटो एलबम उपलब्ध कराए जाते हैं। सत्र के दौरान राज्य सभा की कार्यवाही का वीडियो फुटेज और सीधा प्रसारण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सामान्य जानकारीः बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू), संसदीय परिपाटी और प्रक्रिया, राज्य सभा सचिवालय के प्रकाशन, स्मृति चिह्न, राज्य सभा टीवी, राज्य सभा का सीधा वेब प्रसारण (केवल सत्रावधि के दौरान) आदि से संबंधित जानकारी और दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सभी अपेक्षित जानकारी से संबंधित एक लिंक भी उपलब्ध है।

उपयोगी लिंकः अन्य विधायिकाओं की साइटों, भारत सरकार की आधिकारिक साइटों, संसद ग्रंथालय आदि से संबंधित लिंक भी उपलब्ध हैं।

साइट मानचित्रः सभी वेबसाइट पृष्ठों से संबंधित लिंक के साथ व्यापक साइट मानचित्र भी उपलब्ध है।

इस समय राज्य सभा की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं:

मद	अंग्रेजी	हिन्दी
कार्यावलि	186वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
संसदीय समाचार भाग-II	अक्तूबर, 1998 से अब तक	1999 से अब तक
वाद-विवाद का सारांश	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
शब्दशः वाद-विवाद	189वें सत्र से अब तक	189वें सत्र से अब तक
संसदीय प्रश्न	174वें सत्र से अब तक	197वें सत्र से अब तक
संसद की सभाओं द्वारा पारित विधेयकों का सत्र-वार विवरण	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
सत्र के अंत में लंबित विधेयक	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
सत्र के जर्नल	174वें सत्र से अब तक	174वें सत्र से अब तक
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192वें सत्र से अब तक	192वें सत्र से अब तक
दैनिक संसदीय प्रश्न सूची तारांकित/अतारांकित	194वें सत्र से अब तक	206वें सत्र से अब तक

निम्नलिखित प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक रूप में वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं:

- ह्यूमर इन द हाउसः ए ग्लिम्प्स इन टू दी एनलिवनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा, 2003 एडिशन
- सेकण्ड चैम्बर्सः बाइकैमरालिज़्म टुडे, 2002 एडिशन
- इमर्जेंस ऑफ सेकण्ड चैम्बर इन इंडिया, 2002 एडिशन

- राज्य सभा में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, 2005 संस्करण
- भारतीय संसद: एक परिचय, 2007 संस्करण
- लाइटर मूमेंट्स इन द राज्य सभा, 1985 एडिशन एंड लाइटर मूमेंट्स इन द राज्य सभा — ए सप्लीमेंट, 1986 एडिशन
- द हाउस लाफ्स — एन एंथोलॉजी ऑफ विट एंड ह्यूमर इन द राज्य सभा, 1989 एडिशन
- वेलकम मिस्टर चेयरमैन सर (श्री एम. वेंकैया नायडु)
- सुस्वागतम् सभापति महोदय, 1997 संस्करण [राज्य सभा के दसवें सभापति बनने पर सभा में श्री कृष्ण कांत को बधाई]
- सुस्वागतम् सभापति महोदय, 2003 संस्करण [20 नवम्बर 2002 को राज्य सभा में सभापति का पद ग्रहण करने पर श्री भैरों सिंह शेखावत का स्वागत करते हुए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण]
- फैलिसिटेशंस ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2006 एडिशन [कॉन्ग्रच्यूलेट्री रिमार्क्स मेड इन द हाउस ऑन द कम्प्लीशन ऑफ फोर इयर्स ऑफ श्री भैरों सिंह शेखावत एज़ द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा ऑन 18 अगस्त 2006]
- रोल एंड रेलेवेंस ऑफ राज्य सभा इन इंडियन पॉलिटी, 2004 एडिशन
- वुमेन मेम्बर्स ऑफ राज्य सभा, 2003 एडिशन
- सोशियो-इकोनोमिक प्रोफाइल ऑफ राज्य सभा (1952-2002), 2003 एडिशन
- द सेकण्ड चैम्बर: इट्स रोल इन मॉडर्न लैजिस्लेचर्स — द ट्वंटी-फाइव इयर्स ऑफ राज्य सभा, 1977 एडिशन
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् : ए कोमेमोरेटिव वॉल्यूम, 1988 एडिशन

- एजुकेशन एंड सोशल चेंज, 1988 एडिशन
- जवाहर लाल नेहरू एंड राज्य सभा, 1989 एडिशन
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर — द मैन एंड हिज़ मैसेज : ए कोमेमोरेटिव वॉल्यूम, 1991 एडिशन
- राज्य सभा पेज़ होमेज टू राजीव गांधी, 1991 एडिशन
- प्राइवेट मेम्बर्स लेजिस्लेशन
- राज्य सभा स्टेटिस्टिकल इनफॉरमेशन 1952–2013 (इंग्लिश–हिंदी)
- स्कीम फॉर डॉ. एस. राधाकृष्णन चेयर एंड राज्य सभा फैलोशिप— (इंग्लिश–हिंदी)
- निष्पादन विवरण — राज्य सभा (अंग्रेजी–हिन्दी)
- सैक्रेटरी जनरल — ए वर्क प्रोफाइल
- प्रैक्सिज़ ऑफ इंडियन पार्लियामेंट : नोट्स ऑन प्रोसीजर्स ऑफ द काउन्सिल ऑफ स्टेट्स
- प्रैक्सिज़ ऑफ इंडियन पार्लियामेंट : नोट्स ऑन प्रोसीजर्स ऑफ द काउन्सिल सेक्रेटेरिएट
- पार्लियामेंटरी प्रैक्सिज़ : सेक्रेटरी जनरल, राज्य सभा एट कॉन्फ्रेंसिज (2002–2011)
- समरी ऑफ वर्क डन
- ई–वेस्ट इन इंडिया
- राज्य सभा में विभिन्न प्रकार के वाद–विवाद पर चर्चा आरंभ किया जाना
- संविधान सभा की महिला सदस्यों के चुनिंदा भाषण
- सुस्वागतम् सभापति महोदय
- सुस्वागतम् सभापति महोदय, 2012

- राज्य सभा के साठ वर्ष (1952-2012)
- राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य
- राज्य सभा में कम्प्यूटरीकरण : एक सिंहावलोकन, 2012
- सेक्रेटरी जनरल, राज्य सभा : ए प्रोफाइल एंड ए वर्क स्टडी ऑफ एक्टीविटीज
- न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन राज्य सभा के सभापति द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन
- संसदीय समितियों की परिपाटी : राज्य सभा की नियम समिति की सिफारिशें
- सुस्वागतम सभापति महोदय, 2007 (हामिद अंसारी)
- सुस्वागतम सभापति महोदय, 2012 (हामिद अंसारी)
- राज्य सभा सचिवालय की संरचना एवं कार्य, 2009
- भारतीय संसद में द्वितीय सदन : राज्य सभा की भूमिका एवं स्थिति 2009
- विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण : परिदृश्य, 2008
- वैश्विक आर्थिक संकट और भारत पर इसका प्रभाव, 2009
- जलवायु परिवर्तन : भारत में सतत् विकास की चुनौतियां, 2008
- संसदीय प्रक्रियाएं : समस्याएं और परिदृश्य, 2009
- डीमिस्टीफाइंग क्वैश्चन ऑवर : बजट सैशन, 2008
- संसदीय शब्दावली, 2009 (द्विभाषी)
- प्रकाशन विवरण पुस्तिका, 2009
- जेनेटिकली मोडीफाइड क्रोप्स : इश्यूज एंड चेलेंजिज इन द कान्टेक्स्ट ऑफ इंडिया

- फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचंस ऑन पार्लियामेंट, 2016
- कमिटीज़ ऑफ राज्य सभा एंड अदर पार्लियामेंटरी कमिटीज़ एंड बॉडीज ऑन विच राज्य सभा इज़ रीप्रेजेन्टिड (2017-2018)
- रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिड बाइ द चेयरमेन टू गो इन्टू द क्वेश्चन ऑफ इश्यूज परटेनिंग टू स्टेट सबजेक्ट/लेजिस्लेचर्स विच कैन बी रेज्ड एंड डिस्कस्ड इन दी हाउस
- चेयरमैन्स रिप्लाई टू द फेलिसिटेशन इन राज्य सभा (26-08-1997)
- मैनुअल ऑफ पार्लियामेंटरी वर्क इन मिनिस्ट्रीज
- डिसिप्लिन, डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट
- राज्य सभा के पचास वर्ष (1952-2002)
- नामिनेटिड मैम्बर्स ऑफ राज्य सभा (1952-2012)
- कम्प्यूटराईजेशन इन राज्य सभा–एन ओवरव्यू, 2002
- राज्य सभा में समिति व्यवस्था (1952-2002)
- राज्य सभा की आचार समिति, 2003
- संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954
- राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम
- राज्य सभा के सभापति द्वारा दिए गए निदेश
- कार्यरत राज्य सभा, 2006, 2017 (हिन्दी, अंग्रेजी)
- राज्य सभा के सदस्यों की सूची
- राज्य सभा सदस्यों के लिए जानकारी पुस्तिका
- सभापीठ द्वारा दिए गए निर्णय और समुक्तियां (1952-2008)
- विशेषाधिकार सार-संग्रह
- कार्यालय नियम-पुस्तिका

- वार्षिक प्रतिवेतन
- एन इन्ट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया

चूंकि सदस्य और भूतपूर्व सदस्य सभा में समय-समय पर अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में अभिलेख के ब्यौरे को जानने को काफी इच्छुक होते हैं और उन्हें आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने के लिए लार्डिस और राज्य सभा सचिवालय को अक्सर पुराने अभिलेखों की हाथों से खोज करनी पड़ती है। अब चूंकि अधिकांश सूचना डाटाबेस में उपलब्ध है, सदस्य-वार व्यापक सुविधा इंटरनेट पर विकसित की गई है जिसमें सदस्य के नाम का चयन करने पर निम्नलिखित में से किसी भी पहलू के संबंध में सूचना दर्शायी जा सकती है:

- सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न
- सदस्य को दिए गए आश्वासन
- सदस्य द्वारा किए गए विशेष उल्लेख
- सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किए गए विधेयक
- विभिन्न समितियों में सदस्यता
- जीवन-वृत्त
- सदस्य से संबंधित एम पी लैड्स (एमपीएलएडीएस) सूचना

सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई है ताकि यदि सदस्य चाहे तो वह सूचना सीधे ही ले सकता है।

राज्य सभा के सदस्यों के लिए संसदीय सेवाओं की कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया में कुछ सूचना प्रपत्र कंप्यूटर संगत बनाए गए हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय, निम्नलिखित सूचना प्रपत्र कंप्यूटर संगत फॉरमेट में उपलब्ध हैं:

(i) शून्य काल

(ii) अल्प सूचना प्रश्न

(iii) आधे घंटे की चर्चा

(iv) ध्यानाकर्षण

(v) अल्पकालिक चर्चा

(vi) प्रस्ताव की सूचना

(vii) विशेष उल्लेख

(viii) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(ix) सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा हेतु प्रपत्र

(x) सदस्यों द्वारा संपत्तियों और देयताओं की घोषणा हेतु प्रपत्र

(xi) जीवन-वृत्त प्रपत्र

(ख) प्रकाशन और सदस्य परिचय एकक

सचिवालय की ओर से विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन करना इस एकक का प्रमुख कार्य है जिनमें शामिल है राज्य सभा का सदस्य परिचय, जिसमें राज्य सभा के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव के पश्चात् सदस्यों के जीवनवृत्त संकलित होते हैं। प्रकाशन और सदस्य परिचय एकक सचिवालय की ओर से समय-समय पर सभी नियमित और अन्य प्रकाशन प्रकाशित करना है और प्रेषण सूची के अनुसार उनके परिचालन और वितरण का कार्य भी करता है। यद्यपि इनमें से कतिपय प्रकाशन एक बार प्रकाशित होते हैं जबकि अन्य नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।

सदस्य परिचय, राज्य सभा

यह एकक सदस्य परिचय, राज्य सभा के संग्रहण से संबंधित कार्य करता है। यह प्रकाशन प्रत्येक दो वर्षों में द्विवार्षिक चुनावों में नए सदस्यों के निर्वाचित होने के पश्चात् प्रकाशित किया जाता है। सदस्य परिचय, राज्य सभा में शामिल किए जाने हेतु नए निर्वाचित सदस्यों से उनके जीवनवृत्त ब्यौरे और उनके फोटो प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक जीवनवृत्त प्रपत्र भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान सदस्यों और ऐसे सेवानिवृत्त सदस्य जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं, को अद्यतनीकरण हेतु पूर्व संस्करण में प्रकाशित उनके जीवनवृत्तों के

पृथक किए हुए पृष्ठ प्रेषित किए जाते हैं। सदस्यों द्वारा यथावत् पूर्ण रूप से भरे गए जीवनवृत्त प्रपत्र प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार संसाधित एवं संग्रहीत किया जाता है। किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण की स्थिति में सदस्य से या तो राज्य सभा की लॉबी में (सत्र के दौरान) अथवा लिखित पत्राचार के माध्यम से (अन्तर-सत्रावधि के दौरान) संपर्क किया जाता है। जीवनवृत्त अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं और ये उन्हें सदस्य को पुनरीक्षण एवं निश्चित तारीख तक लौटाये जाने हेतु प्रेषित किए जाते हैं, तत्पश्चात् पाण्डुलिपि मुद्रणार्थ मुद्रण अनुभाग को भेजी जाती है।

सदस्य परिचय, राज्य सभा के द्विवार्षिक प्रकाशन के अतिरिक्त एकक द्वारा राज्य सभा के प्रारंभ से सभी सदस्यों का संक्षिप्त जीवन वृत्त देते हुए एक समेकित सदस्य परिचय भी संकलित किया गया है।

(ग) वाद-विवादों का डिजिटलीकरण

संसदीय वाद-विवाद सभा पटल पर दी गई सूचना, चर्चा और विचार-विमर्श का संग्रह हैं। ये वाद-विवाद हमारे राष्ट्र की नियति निर्माण में सभा द्वारा अदा की गई भूमिका को समझने में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। ये सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज हैं और हमारी संसदीय प्रक्रिया के इतिहास और विरासत के लिखित रिकॉर्ड हैं।

राज्य सभा के प्रारंभ अर्थात् 1952 से सभी आधिकारिक वाद-विवाद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। सदस्यों, शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, पत्रकारों और यहां तक कि सामान्य नागरिकों को प्रायः इन वाद-विवादों की प्रतियों की आवश्यकता पड़ती हैं। वाद-विवादों के डिजिटलीकरण और सन्दर्भ हेतु उन तक शीघ्र पहुंच के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता महसूस की गई। कोई भी व्यक्ति राज्य सभा के पार्लियामेंट डिबेट पोर्टल (*http://rsdebate.nic.in*) पर जाकर अपनी सुविधानुसार संसदीय वाद-विवादों से वांछित और संगत भाग को सरलता से प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में राज्य सभा की वेबसाइट के डिबेट पोर्टल में 1 से 243वें सत्रों तक के आधिकारिक वाद-विवादों के डिजिटलीकरण रूप उपलब्ध हैं। इंटरनेट

पर एडवान्स्ड सर्च इंजन के साथ वाद-विवादों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्धता लोगों को उनमें समाविष्ट जानकारी के खज़ाने को सरलतापूर्वक खोजने के लिए सक्षम बनाती है। लोकतांत्रिक संस्थानों में डिजिटल सम्पत्तियों के अभिलेखन और इसकी सार्वजनिक उपलब्धता लोगों तक पहुंच बनाने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है।

(घ) दृश्य-श्रव्य और प्रसारण

राज्य सभा की सीधी कार्यवाही 29 जुलाई, 1998 तक यू-मैटिक कैसेटों पर रिकॉर्ड की गई थी। 30 जुलाई, 1998 से रोबोटिक कैमरे के माध्यम से टी.वी. प्रसारण शुरू होने के साथ बीटाकैम कैसेटों पर कार्यवाहियां रिकॉर्ड की जा रही है। बीटाकैम कैसेटों पर रिकॉर्ड की गई कार्यवाहियां इच्छुक सदस्यों को भुगतान के आधार पर आपूर्ति के लिए वीडियो सीडी पर अंतरित की जाती हैं। अपने भाषणों की वीडियो सीडी की प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य लॉबी आफिस से संपर्क कर सकते हैं जो सदस्यों से ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही करता है। तथापि वीडियो फिल्म की प्रति सदस्य द्वारा केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए।

(ङ) मीडिया, शिक्षा और दृश्य-श्रव्य एकक

प्रेस एवं मीडिया एकक का गठन 17 नवम्बर, 2003 को किया गया जिससे कि मीडिया द्वारा राज्य सभा की कार्यवाहियों के बेहतर कवरेज की सुविधा मिल सके। इस एकक का नया नाम ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन एवं सूचना सेवा (लार्डिस), राज्य सभा सचिवालय के पुनर्गठन के रूप में 19 सितम्बर, 2008 को 'मीडिया शिक्षा और दृश्य-श्रव्य एकक' रखा गया। यह एकक राज्य सभा की कार्यवाहियों की पर्याप्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रेस के व्यक्तियों और अन्य मीडिया एजेंसियों के साथ संपर्क करने हेतु नोडल अनुभाग के रूप में कार्य करता है। इसे सुगम बनाने हेतु एक मीडिया सलाहकार समिति, जिसमें प्रेस के प्रत्यायित व्यक्ति होते हैं, की वर्ष 2008 में स्थापना की गई जिसका कार्य राज्य सभा की प्रेस दीर्घा में विभिन्न

मीडियाकर्मियों और संगठनों के प्रवेश के संबंध में राज्य सभा सचिवालय को सलाह देना है।

राज्य सभा की प्रेस दीर्घा में मीडियाकर्मियों को प्रवेश देने हेतु तीन प्रकार के प्रवेश-पत्र यथा स्थायी, सत्रीय (सेशनल) और अस्थायी प्रवेश-पत्र जारी किए जाते हैं। एक वर्ष की मान्यता वाले स्थायी प्रवेश-पत्र राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के लिए स्वीकृत समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोटे के एवज में पत्रकारों को जारी किए जाते हैं जबकि दो वर्ष की मान्यता वाले स्थायी प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से उन पत्रकारों को जारी किए जाते हैं जो दीर्घ एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सत्रीय प्रवेश-पत्र स्वीकृत समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के स्वीकृत कोटे के एवज में पत्रकारों को जारी किए जाते हैं और ये एक सत्र के लिए वैध होते हैं। अस्थायी प्रवेश-पत्र मीडिया सलाहकार समिति के एक सदस्य की और राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के स्थायी प्रवेश-पत्र वाले एक पत्रकार की सिफारिश पर सप्ताह में एक बार जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय कक्ष की सुविधा भी वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाती है। इस सुविधा का उपयोग करने हेतु किसी पत्रकार को संपादक/ब्यूरो प्रमुख से उसके नाम की सिफारिश करने वाला पत्र लाना होता है।

प्रेस दीर्घा के लिए इन प्रवेश पत्रों को प्राप्त करने हेतु समाचार पत्र के संपादक/ब्यूरो प्रमुख को आधिकारिक पत्रशीर्ष पर मीडिया एकक को औपचारिक अनुरोध भेजना होता है। जिसमें निम्नलिखित संलग्न होता है: (i) भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आर.एन.आई.) द्वारा अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सरकुलेशन (ए.बी.सी.) द्वारा जारी परिचालन प्रमाणपत्र; और (ii) राज्य सूचना निदेशालय, जहां उस समाचार पत्र का प्रधान कार्यालय है, से पत्र। समाचार पत्र का कोटा उसके दैनिक परिचालन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पत्रिकाओं के मामले में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

आधिकारिक मीडिया एजेंसियों नामत: दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) का सभा की कार्यवाहियों को कवर करने हेतु अपने प्रतिनिधियों के लिए प्रवेश पत्रों का निर्धारित कोटा है। तथापि, इस एकक को इन एजेंसियों के सक्षम प्राधिकारी की ओर से राज्य सभा की कार्यवाहियों को कवर करने हेतु प्रतिनिधियों के नामों की सिफारिश करने वाले औपचारिक अनुरोध प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार, यह एकक प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम तीन वर्षों के लिए व्यापक संसदीय कवरेज सहित चौबीसों घंटे समाचार और समसामयिक विषयों को प्रसारित करने वाले गैर-सरकारी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रवेश-पत्र जारी करता है।

यह एकक राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के निकट एक प्रेस पटल भी संचालित करता है। यह प्रेस पटल राज्य सभा की कार्यवाहियों को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए विधेयक, कार्यावलि, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचियां, मंत्री/मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य, विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन, विशेष उल्लेख, आदि जैसे संसदीय पत्र उपलब्ध कराता है। यह पटल सत्रावधि में कार्य करता है। इस पटल के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियां भी मीडियाकर्मियों को प्रदान की जाती हैं।

मीडिया एकक समय-समय पर राज्य सभा के सभापति और उपसभापति की वरिष्ठ पत्रकारों से वार्तालाप की व्यवस्था करता है। यह एकक विभाग-संबंधित समितियों और अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्षों के लिए संबंधित समिति अनुभागों से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रेस सम्मेलन भी आयोजित करता है। यह एकक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समिति के प्रतिवेदनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है ताकि इसका व्यापक प्रचार हो सके। यह एकक कई घटनाओं/कार्यक्रमों, जैसे विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों द्वारा माननीय सभापति और उपसभापति से भेंट, माननीय सभापति के कक्ष में राज्य सभा के निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के शपथ-ग्रहण समारोह, नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के लिए विषयबोध कार्यक्रम, राज्य सभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के विदाई समारोह तथा समय-समय पर आयोजित होने वाले कई अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करता है और उन्हें जारी करता है।

मीडिया एकक राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के लिए प्रवेश पाने वाले मीडियाकर्मियों को राज्य सभा के कार्यकरण के प्रक्रियात्मक तथा अन्य पहलुओं की जानकारी देने के लिए उनकी खातिर विषयबोध कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

(च) राज्य सभा टेलिविजन (आरएसटीवी)

राज्य सभा टेलिविजन, भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्य सभा के पूर्ण स्वामित्व तथा इसके द्वारा संचालित 24×7 चलने वाले संसदीय चैनल के रूप में अस्तित्व में आया है। इस चैनल का उद्देश्य संसदीय मामलों विशेषकर राज्य सभा के कार्यकरण और इससे संबंधित घटनाक्रमों का गहन कवरेज उपलब्ध कराना और उनका विश्लेषण करना है। संसद के सत्रों के दौरान, राज्य सभा की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने के अलावा, आरएसटीवी सभा की कार्यवाहियों के साथ-साथ अन्य दैनिक संसदीय आयोजनों एवं घटनाक्रमों का प्रभावशाली विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आरएसटीवी अपने ज्ञानवान दर्शकों के लिए सूचना एवं ज्ञान आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक मंच भी उपलब्ध कराता है। चैनल का वेब प्रसारण राज्य सभा के होम पेज अर्थात् *www.rajyasabha.nic.in,* आरएसटीवी अर्थात् *www.rstv.nic.in* एवं यूट्यूब पर एक साथ उपलब्ध है।

चैनल ने भारत में पहली बार आम जनता को संसदीय समितियों के कार्यकरण के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त चैनल आगामी विधायी विधेयकों तथा संसद में विचाराधीन विधेयकों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करता है। आने वाले दिनों में अपने विकास के साथ-साथ आरएसटीवी का उद्देश्य अपने दर्शकों के लाभार्थ राज्य सभा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए भारतीय संसद के कार्यकरण के अनेक अन्य पहलुओं को भी कवर करना है।

आरएसटीवी ने उत्तरदायी और जिम्मेदार सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के प्रति सचेत रहते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद और जनसाधारण के बीच के जीवंत संबंध के आधार पर अपने कार्यक्रमों और 'शो' की अवधारणा तैयार की है। वस्तुतः आरएसटीवी निर्वाचित एवं निर्वाचकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ-साथ इसका उद्देश्य जनता को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर निष्पक्ष

दृष्टिकोण उपलब्ध कराना है। एक ओर यह लोगों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पहलु के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह कला एवं संस्कृति आधारित अपने कार्यक्रमों और 'शो' के माध्यम से भारतीय समाज की विविधता और जीवंतता को आगे बढ़ाने का निष्कपट प्रयास करता है।

चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. कश्यप, सुभाष सी.: इंफोर्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, खंड-7, सं. 2
2. कश्यप, सुभाष सी.: पार्लियामेंट्स एंड इंफोर्मेशन डिसैमीनेशन, मोनोग्राफ सीरीज संख्या 04, जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफोर्मेशन, खंड-31, सं. 1, मार्च, 1985
3. जोन्स, बी.ओ.: दि इंफोर्मेशन सोसाइटी एंड इट्स फ्रैगमेंटेशन; पार्लियामेंट ऑफ दि कॉमनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया के तत्वावधान में मार्च, 1980 में केनबरा में आयोजित दि इंफोर्मेशन टेक्नालॉजी एंड पार्लियामेंटेरियन्स सेमिनार की कार्यवाही, उपाबंध 'घ'
4. बिस्ट्रोम, टी. एंड स्पाईसर, ई.: इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इंफोर्मेशन फॉर पार्लियामेंट, इंटर-पार्लियामेंट्री बुलेटिन, तीसरी तिमाही, 1974
5. एंजिलफिल्ड, डी.: सर्वे ऑफ पार्लियामेंट्री लाइब्रेरीज, डाक्यूमेंटशन एंड इंफोर्मेशन सर्विस, यूरोपियन सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड डाक्यूमेंटेशन, लक्जमबर्ग, 1983
6. रीड, ए.एस.: इंफोर्मेशन फॉर दि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दी इंफोर्मेशन साईंटिस्ट, खंड-2, सं. 2, जून, 1977
7. बार्कर, ए.: इंफोर्मेशन फॉर पार्लियामेंटेरियंस: ए टेक्निकल एंड पोलिटिकल चैलेंज, दि पार्लियामेंटेरियन, खंड-54, सं. 2, अप्रैल, 1973
8. पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रिफरेंस, रिसर्च, डाक्यूमेंटेशन एंड इंफोर्मेशन सर्विस-एन इंट्रोडक्ट्री गाइड एंड ए ब्रोशर, लोक सभा सचिवालय, जनवरी 1985
9. संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस), लोक सभा सचिवालय

10. संसद ग्रंथालय सूचना प्रणाली (पार्लिस), कम्प्यूटर केन्द्र, लोक सभा सचिवालय

11. दृश्य-श्रव्य और प्रसारण सेवा, लोक सभा सचिवालय

12. दि जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफोर्मेशन, लोक सभा सचिवालय, खंड-49, सं. 3, सितम्बर, 2003

13. हैंडबुक फॉर मेम्बर्स, राज्य सभा सचिवालय, 2010